

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025—माघ 11, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम कृतिक शुक्ल (Kritik Shukl) था. वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरे पुत्र का नाम मानविक शुक्ला (Manvik Shukla) हो गया है. अतः वर्तमान और भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थी,

(कृष्ण कुमार शुक्ला)

(पिता),

निवासी-6, चन्देहरी, तहसील गुढ़,

जिला रीवा (म.प्र.).

(G-332)

नाम परिवर्तन

मैं, उपेन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री शारदाप्रसाद दुबे, निवासी-सेमरी हरचंद, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश सोम दुबे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों पर अनमोल दुबे नाम दर्ज है, जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अनमोल दुबे पुत्र उपेन्द्र कुमार दुबे से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(उपेन्द्र कुमार दुबे)

(G-333)

नाम परिवर्तन

मैं, यशोदा यादव पति राम सुमन यादव, निवासी—अहिरान टोला, ग्राम भडरा, थाना तहसील अमरपाटन, जिला मैहर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश संखवती यादव दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर यशोदा यादव नाम दर्ज है जो कि सही है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम यशोदा यादव पति राम सुमन यादव से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संखवती यादव)

नया नाम
(यशोदा यादव)
पति—राम सुमन यादव.

(G-334)

नाम परिवर्तन

मैं, आकांशा सिलावट पुत्री श्री फूल सिंह, निवासी—ग्राम सकरोली पंचायत, सकरोली अम्ब नगर, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चंदा सीलावट अंकित हो गया है, जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम आकांशा सिलावट है, जो कि लिखा—पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(चंदा सीलावट)

नया नाम
(आकांशा सिलावट)

(G-335)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव महाजन है. जो जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है. स्कूल में अंश महाजन दर्ज है. प्रकाशन उपरांत अभिनव महाजन के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंश महाजन)

नया नाम
(अभिनव महाजन)
पिता—प्रियेश महाजन,
पता—59, नीलकंठ कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-336)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा चनपुरिया पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद चनपुरिया, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पति दुर्गा प्रसाद चनपुरिया. उनके सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पुष्पा चंदपुरिया था. जबकि मैं, पुष्पा चनपुरिया के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों, पेन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर आई. डी. कार्ड इत्यादि में लिखा है. पुष्पा चनपुरिया एवं पुष्पा चंदपुरिया दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत पुष्पा चनपुरिया के नाम से जानी—पहचानी एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पुष्पा चंदपुरिया)

नया नाम
(पुष्पा चनपुरिया)

(G-337)

नाम परिवर्तन

मैं, दुर्गा प्रसाद चनपुरिया पिता श्री शंकर लाल चनपुरिया, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दुर्गाप्रसाद चंदपुरिया दर्ज हो गया था. जबकि मैं, दुर्गा प्रसाद चनपुरिया पिता श्री शंकर लाल चनपुरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, पेन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर आई. डी. कार्ड इत्यादि में लिखा है. दुर्गा प्रसाद चनपुरिया एवं दुर्गाप्रसाद चंदपुरिया दोनों मेरे ही नाम हैं एवं भविष्य में भी मैं, दुर्गा प्रसाद चनपुरिया पिता श्री शंकर लाल चनपुरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम दुर्गाप्रसाद चंदपुरिया के स्थान पर दुर्गा प्रसाद चनपुरिया लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

(दुर्गा प्रसाद चंदपुरिया)

(G-338)

नया नाम

(दुर्गा प्रसाद चनपुरिया)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का नाम राजेंद्र (Rajendra) सिंह बिस्ट है, जो कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेज (Rajender) हो गया है, मेरे पिता का सही नाम राजेंद्र (Rajendra) भविष्य के सभी दस्तावेजों पर जाना-जाये.

प्रार्थी,

(हर्षवर्धन सिंह बिस्ट)

(Harshwardhan Singh Bist)

आत्मज-श्री राजेंद्र सिंह बिस्ट,

(S/o Rajendra Singh Bist).

(G-339)

नाम परिवर्तन

मैं, रघुवीर सिंह राजपूत, मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम शुभम राजपूत (SHUBHAM RAJPUT) अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम शार्दुल सिंह राजपूत (SHARDUL SINGH RAJPUT) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सही नाम शार्दुल सिंह राजपूत (SHARDUL SINGH RAJPUT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

प्रार्थी,

(रघुवीर सिंह राजपूत)

(पिता)

निवासी-ग्राम पिपलोद, पोस्ट रायपुर,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-340)

CHANGE OF NAME

I, Beni Singh is Mother of Army Jitendra Singh Serving in 12 Mahar C/o 56, APO Presently, Residing At Road No. 02, Neelesh Rai Ke Piche, Aanand Nagar, Rajakhedi, Makronia Hal, Sagar (M.P.). Have changed my name from Beni Singh to Baini Bai in my All documents.

Yours Faithfully,

(BAINI BAI)

(G-341)

नाम परिवर्तन

मैं, भूपेन्द्र उर्फ भावना अहिरवार (राज) पत्नी राजेश अहिरवार (राज), निवासी—ग्राम पार, बीना हॉल निवासी—नानक वार्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पिता जी के सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अलग-अलग तरीके से दर्ज हो गया है, कहीं भूपेन्द्र कुमार एवं कहीं पर भूपेन्द्र कुमारी कहीं पुत्र एवं कहीं पुत्री हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में माननीय न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद होने से मेरा पूर्व नाम भूपेन्द्र अहिरवार पुत्री स्व. श्री किशोरीलाल अहिरवार है. जो कि एक महिला है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम भूपेन्द्र अहिरवार पुत्री स्व. श्री किशोरीलाल अहिरवार के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(भूपेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र कुमारी)

(G-342)

नया नाम

(भूपेन्द्र अहिरवार)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र सिंह परिहार पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह परिहार, निवासी—नाका चन्द्रवदनी, प्यारेलाल मेम्बर साहब की गली, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश राधिका परिहार दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों पर राधा परिहार नाम दर्ज है. जो कि सही है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम राधा परिहार पुत्री सुरेन्द्र सिंह परिहार से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राधिका परिहार)

(G-343)

नया नाम

(राधा परिहार)

पुत्री—सुरेन्द्र सिंह परिहार.

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अंकसूची में यीशुदान डेहरिया अंकित है. जो त्रुटिवश लिखा गया है. जबकि जन्म प्रमाण-पत्र में यीशु डेहरिया अंकित है, जो सही है. प्रकाशन उपरांत समस्त शालेय अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम यीशुदान डेहरिया के स्थान पर यीशु डेहरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

(G-344)

प्रार्थी

(ललिता डेहरिया).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, कार्तिकेय सिंह आत्मज श्री पृथ्वीराज सिंह, निवासी—म.नं. 84/1, पुरानी आबादी, वीलेज पिपलियाहामा, घाटिया, उज्जैन (म.प्र.). कि मेरा वास्तविक नाम कार्तिकेय सिंह (KARTIKEYA SINGH) है, तथा मेरे पुत्र रघुराज सिंह चौहान के शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश मेरा नाम कार्तिकेय सिंह चौहान (KARTIKEYA SINGH CHAUHAN) हो गया है, एवं अब मैं अपने पुत्र की शैक्षणिक दस्तावेज में अपने वास्तविक व नये नाम संशोधन कार्तिकेय सिंह (KARTIKEYA SINGH) के नाम से जाना जाऊँगा एवं मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

(G-345)

प्रार्थी

(कार्तिकेय सिंह).

नाम परिवर्तन

मैं, येधैय खींची पिता धीरज खींची (YEADHEY KHICHI) सरपरस्त धीरज खींची पिता जगदीश खींची, निवासी खटीक मोहल्ला, बालागंज मंदसौर सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड, समग्र आइडी, शैक्षणिक संस्था में येधैय खींची दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को युवान खींची (YUVAN KHICHI) के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे.

प्रार्थी

(G-346)

(सरपरस्त धीरज खींची).

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Shanta Nair (शांता नायर) W/o T. K. Gopinathan Nair (टी. के. गोपीनाथन नायर) Residing At H. No. 107, Sarra Pipal, Near Badri Chowk, Ranjhi, Bhagat Singh Ward, Jabalpur (M.P.) have changed my name and shall hereafter be known as Shantamma Nair (शंताम्मा नायर)

प्रार्थी

(SHANTA NAIR)

(G-347)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा सही नाम सन्ति देवी चौधरी पति लीलाराम चौधरी है, लेकिन मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शीला चौधरी लिखा हुआ है. जो कि मेरा गलत नाम है. अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जहां भी मेरा नाम शीला चौधरी लिखा हो उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम सन्ति देवी चौधरी ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शीला चौधरी)

नया नाम

(सन्ति देवी चौधरी)

पति-लीलाराम चौधरी,

पता-टी/96, सी-रेल्वे कॉलोनी,

महू, इन्दौर (म.प्र.).

(G-348)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम राशिद मोहम्मद था, जिसमें मैंने अपना उपनाम लगाकर राशिद मोहम्मद खान कर लिया है, जो कि मेरे दस्तावेजों में लिखा हुआ है. अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जहां भी मेरा नाम राशिद मोहम्मद लिखा है. उन सभी दस्तावेजों में मेरा नाम उपनाम सहित राशिद मोहम्मद खान ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(राशिद मोहम्मद)

नया नाम

(राशिद मोहम्मद खान)

पता-ग्राम-गढुली, तहसील मुंगावली,

जिला अशोक नगर (म.प्र.).

(G-349)

उपनाम परिवर्तन

मैं, बरखा मण्डराई पुत्री स्व. सतीष मण्डराई, निवासी म. न. बी-2, नया बसेरा, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल मेरे द्वारा श्री बबलू गन्नौर के साथ विवाह कर लिया है. विवाह के पश्चात् अपना नाम बदलकर बरखा गन्नौर रख लिया है. अतः भविष्य में सभी सरकारी-व्यक्तिगत और कानूनी दस्तावेजों पर बरखा गन्नौर के नाम से जानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(बरखा मण्डराई)

(G-350)

नया नाम
(बरखा गन्नौर)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामसरन सिंह (Ramsaran Singh) आत्मज श्री अमर सिंह (Amar Singh), निवासी-83/84, पुरुषोत्तम नगर, सेमरा कलां, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम गीता (Geeta) अंकित है. जो उनका पूरा नाम नहीं है. मेरी पत्नी के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उनका नाम गीता शाक्य (Geeta Shakya) है. मेरी पत्नी इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हैं. प्रकाशन उपरांत मेरी पत्नी को श्रीमती गीता शाक्य (Geeta Shakya) पत्नी रामसरन सिंह (Ramsaran Singh) के नाम से जाना-पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

(G-351)

प्रार्थी,
(रामसरन सिंह)
(Ramsaran Singh).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूप सिंह धाकड़ (Roop Singh Dhakad) पुत्र कालू सिंह, मेरी पुत्री पल्लवी धाकड़ (Pallavi Dhakad) है. उसके आधार कार्ड में उसका नाम रितिका नागर (Ritika Nagar) पुत्री रूप सिंह धाकड़ (Roop Singh Dhakad) अंकित है. जो कि सही नहीं है, मेरी पुत्री के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम पल्लवी धाकड़ (Pallavi Dhakad) पुत्री श्री रूप सिंह धाकड़ (Roop Singh Dhakad) है. वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को पल्लवी धाकड़ (Pallavi Dhakad) पुत्री श्री रूप सिंह धाकड़ (Roop Singh Dhakad) के नाम से जाना व पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

(G-352)

प्रार्थी,
(रूप सिंह धाकड़)
(Roop Singh Dhakad)
पता-ग्राम निपानिया धाकड़, पोस्ट निपानिया धाकड़,
तहसील पोलाय कलां, जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम संस्कृति जैन (SANSKRITI JAIN) पुत्री गोपाल जैन निवासी-सुभाष नगर, ए. बी. रोड, बहोड़ापुर, लश्कर, ग्वालियर है जो शैक्षणिक दस्तावेज में अंकित है एवं आधार कार्ड में संस्कृति (SANSKRITI) पुत्री गोपाल जैन (GOPAL JAIN) त्रुटीवश है. प्रकाशन उपरांत सही नाम संस्कृति जैन (SANSKRITI JAIN) पुत्री गोपाल जैन (GOPAL JAIN) के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

(G-353)

प्रार्थी,
(गोपाल जैन)
(GOPAL JAIN).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नारायण गुर्जर मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रियांश (Priyansh) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम कपिल गुर्जर (Kapil Gurjar) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम कपिल गुर्जर (Kapil Gurjar) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

प्रार्थी,
(नारायण गुर्जर)
(पिता)

निवासी-मकान नं. 234, वार्ड नं. 17,
पोस्ट कोटरा, तह. सिवनी मालवा,
जिला नर्मदापुरम् होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-354)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मनोरमा सोलंकी पति स्व. श्री शेरसिंह सोलंकी, निवासी-36/37, सुयंश विहार कॉलोनी, बीमा हॉस्पिटल के पीछे, इन्दौर. जो पूर्व में मेरा नाम मनोरमा उर्फ (मनुबाई) था. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः अब वर्तमान में मुझे श्रीमती मनोरमा सोलंकी पति स्व. श्री शेरसिंह सोलंकी के नाम से जाना जायेगा.

प्रार्थनी,
(मनोरमा सोलंकी).
पति-स्व. श्री शेरसिंह सोलंकी

(G-355)

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष जैन आ. श्री अभिनंदन कुमार जैन, निवासी-ड्यूप्लेक्स नं. 73, रिट्री विलाज, नियर गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे उक्त पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सक्षम जैन है. मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश कुछ दस्तावेज में आरव जैन दर्ज हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक एवं प्रचलित नाम सक्षम जैन है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को सक्षम जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी,
(आशीष जैन).

(G-356)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनय सिंह द्विवेदी पिता श्री रामनरेश द्विवेदी, निवासी-कृष्ण नगर, कॉलोनी वार्ड नं. 1 अमरपाटन, तहसील एवं पोस्ट अमरपाटन, जिला मैहर, सतना (म.प्र.). मेरा नाम विनय सिंह द्विवेदी है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज प्रमाण-पत्र में मेरा नाम वैदेही शरण द्विवेदी पिता श्री रामनरेश द्विवेदी एवं माता रामलली द्विवेदी दर्ज है. यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम हैं. प्रकाशन के उपरांत मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अर्द्धशासकीय/शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विनय सिंह द्विवेदी (VINAY SINGH DWIVEDI) पिता-रामनरेश द्विवेदी (RAMNARESH DWIVEDI), माता रामलली द्विवेदी (RAMLALI DWIVEDI) पढ़ा-लिखा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वैदेही शरण द्विवेदी)
(VADEHI SHARN DWIVEDI)

नया नाम
(विनय सिंह द्विवेदी)
(VINAY SINGH DWIVEDI)
पिता-रामनरेश द्विवेदी
(RAMNARESH DWIVEDI).

(G-357)

नाम परिवर्तन

मैं, चैतू कवडेकर पुत्र हरेसिंग कवडेकर, निवासी- 120/2, ग्राम-बेलियामउ तांडी, पोस्ट जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाडा, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पिल्लू कवरेती दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम चैतू कवडेकर (CHAITU KAVDEKAR) पुत्र हरेसिंग कवडेकर है. जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में अंकित है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम चैतू कवडेकर (CHAITU KAVDEKAR) पुत्र हरेसिंग कवडेकर से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(पिल्लू कवरेती)

नया नाम
(चैतू कवडेकर)
(CHAITU KAVDEKAR)

(G-358)

पुत्र-हरेसिंग कवडेकर.

नाम परिवर्तन

मैं, मिलाप सिंह धुर्वे आत्मज ब्रजलाल धुर्वे, निवासी-वार्ड नं. 7, ग्राम-सिलगी (खरपडिया), थाना परसवाड़ा, जिला-बालाघाट (म.प्र.). मेरी सेवा-पुस्तिका में त्रुटिवश मेरी पत्नी का नाम सुमन अंकित हैं, जबकि मेरी वास्तविक पत्नी का नाम सुनीति है, अतः मेरी पत्नी का नाम सुमन के स्थान में सुनीति लिखा-पढ़ा दर्ज किया जाये.

प्रार्थी,
(मिलाप सिंह धुर्वे).

(G-359)

उपनाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में घरेलू नाम चंदाबाई पटेल (CHANDABAI PATEL) के नाम से जाना जाता था. चंदाबाई और चंदनबाई दोनों मेरे एक ही महिला के नाम हैं. मेरे संपूर्ण शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम चंदन बाई पटेल है. मेरे शेरर सर्टिफिकेट में मेरा नाम "चंदाबाई पटेल" है. प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में चंदन बाई पटेल (CHANDAN BAI PATEL) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(चंदाबाई पटेल)
(CHANDABAI PATEL)

नया नाम
(चंदन बाई उर्फ चंदाबाई पटेल)
(CHANDAN BAI/CHANDABAI PATEL)
निवासी-वार्ड नंबर 20, सिंधीपुरा, पाटीदार कॉलोनी,
तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-360)

उपनाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में घरेलू नाम अब्बास अली (ABBAS ALI) के नाम से जाना जाता था. अब्बास अली और अब्बास अली फखरी दोनों मेरे एक ही व्यक्ति के नाम हैं. मेरे संपूर्ण शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अब्बास अली फखरी है. मेरे शेरर सर्टिफिकेट में मेरा नाम "अब्बास अली" है. प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में अब्बास अली फखरी (ABBAS ALI FAKHRI) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(अब्बास अली)
(ABBAS ALI)

नया नाम
(अब्बास अली फखरी)
(ABBAS ALI FAKHRI)
निवासी-174/1, एमागिर्द,
तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-361)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जिया पटेल पुत्री अनिल पटेल माता मीना पटेल, निवासी-डी-9, वैभव विहार, सोमेश होम्स, खजुरी कलां, अवधपुरी, भेल, भोपाल. मेरा बचपन का बोलता नाम एंजल है और यही नाम मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है. जो कि पूर्णतः गलत है. मेरा सही और वास्तविक नाम जिया पटेल है. जो मेरी स्कूल की अंकसूची, जन्म पंजीयन प्रमाण-पत्र में लिखा हुआ है. प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड में यही नाम लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(एंजल पटेल)

नया नाम
(जिया पटेल)

(G-362)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद सिद्दीक खान पिता मोहम्मद अतीक, पता-02, पुलिस चौकी, इमामबाड़ा, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत अंकित कर शमीम सिद्दीक लिख गया है. मेरा सही और पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान (MOHD SIDDEQUE KHAN) ही है. प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में भी मोहम्मद सिद्दीक खान (MOHD SIDDEQUE KHAN) पिता मोहम्मद अतीक इसी नाम से लिखा-पढ़ा और पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शमीम सिद्दीक)

नया नाम
(मोहम्मद सिद्दीक खान)
(MOHD SIDDEQUE KHAN).

(G-363)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अजय चौहान (AJAY CHOUHAN) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम अमित कुमार (AMIT KUMAR) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम अमित कुमार (AMIT KUMAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अजय चौहान)
(AJAY CHOUHAN)

नया नाम
(अमित कुमार)
(AMIT KUMAR)
पता-वार्ड नं.-10, शांति नगर, मंडीदीप,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-364)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्मला गोडबोले (Nirmala Godbole) पत्नी श्री मनोहर गोडबोले, निवासी-म. नं. 491, अन्ना नगर, नियर बुद्ध विहार, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेर आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विमल मनोहर (Vimal Manohar) अंकित हो गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम निर्मला गोडबोले (Nirmala Godbole) पत्नी श्री मनोहर गोडबोले है. जो कि सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम निर्मला गोडबोले (Nirmala Godbole) पत्नी श्री मनोहर गोडबोले के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विमल मनोहर)
(Vimal Manohar)

नया नाम
(निर्मला गोडबोले)
(Nirmala Godbole).
पत्नी-श्री मनोहर गोडबोले.

(G-365)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा भोयर पति इन्द्रजीत भोयर, निवासी-वार्ड नं. 8, ग्राम हल्बीटोला, पोस्ट किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पूजा भोयर दर्ज है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पूजा मासरकर दर्ज है. जो सही है. प्रकाशन उपरांत समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड में मुझे मेरे सही नाम पूजा मासरकर (Pooja Masarkar) पति इन्द्रजीत भोयर के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पूजा भोयर)
(Pooja Bhoyer)

नया नाम
(पूजा मासरकर)
(Pooja Masarkar)
पत्नी-इन्द्रजीत भोयर.

(G-366)

नाम परिवर्तन

मैं, रूद्र रजक (RUDRA RAJAK) पुत्र श्री राजेंद्र रजक सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम लालू रजक (LALU RAJAK) था, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, रूद्र रजक पुत्र श्री राजेंद्र रजक के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. रूद्र रजक एवं लालू रजक दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लालू रजक के स्थान पर रूद्र रजक लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लालू रजक)

नया नाम
(रूद्र रजक)
पुत्र-राजेंद्र रजक
पता-घोशपुरा नं. 1, रंगियाना मोहल्ला,
कारीगरों की बगिया के पास हजीरा,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-367)

नाम परिवर्तन

मैं, रामखिलावन (Ramkhilavan) आत्मक मेवालाल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रामखिलावन (Ramkhilavan) आत्मक मेवालाल अंकित है. प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में रामखिलावन गौड़ (Ramkhilavan Gaur) आत्मक मेवालाल के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(रामखिलावन)
(Ramkhilavan)

नया नाम
(रामखिलावन गौड़)
(Ramkhilavan Gaur)
आत्मज मेवालाल,
पता-वॉर्ड नं. 06, पिट के पास न्यूटन चिखली,
नं. 11, पोस्ट न्यूटन नं. 11, न्यूटन चिखली,
पागरा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-368)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश (Naresh) पुत्र मूलचंद सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नरेश (Naresh) पुत्र मूलचंद है, जो कि सही है. परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा पूर्व का नाम पप्पू (Pappu) अंकित हो गया है. जो कि गलत है. प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में नरेश (Naresh) पुत्र मूलचंद के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(पप्पू)
(Pappu)

नया नाम
(नरेश)
(Naresh)

पुत्र-मूलचंद,

पता-53 ग, आबिदाबाद, आबिदाबाद रोड, सीहोर,
अबिदाबाद बिलकिसगंज, सीहोर (म.प्र.).

(G-369)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप कुमार जैन फुसकेले आत्मज स्व. श्री कुन्दनलाल जैन फुसकेले सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन फुसकेले आत्मज स्व. श्री कुन्दन लाल जैन 'फुसकेले' मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व पेनकार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन आत्मज कुन्दनलाल जैन अंकित है. जबकि आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों एवं सेंट्रल नोटरी एप्लीकेशन फॉर्म में मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन फुसकेले आत्मज स्व. श्री कुन्दनलाल जैन फुसकेले अंकित है. प्रदीप कुमार जैन व प्रदीप कुमार जैन 'फुसकेले' दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम हैं. यानि कि मेरे प्रकाशन के उपरांत मुझे उपरोक्त सभी दस्तावेजों में प्रदीप कुमार जैन फुसकेले के नाम से ही जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जाए.

पुराना नाम
(प्रदीप कुमार जैन)

नया नाम
(प्रदीप कुमार जैन फुसकेले)

निवासी-वार्ड नं. 03, जैन मंदिर के पास,
ग्राम-खेडा, तह. व जिला दमोह हाल
फुटेरा वार्ड नं. 2 दमोह (म.प्र.).

(G-370)

नाम परिवर्तन

मैं, सुषमा बाकलीवाल (SUSHMA BAKLIWAL) पत्नी श्री शरद बाकलीवाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह का पूर्व का नाम कु. सुषमा जैन (KUM. SUSHAMA JAIN) पुत्री श्री रामजी लाल जैन था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा हुआ है. मेरा विवाह श्री शरद बाकलीवाल के साथ हो जाने के कारण विवाह उपरांत मेरा नाम सुषमा बाकलीवाल (SUSHMA BAKLIWAL) पत्नी श्री शरद बाकलीवाल हो गया है. जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. वर्तमान में मैं, सुषमा बाकलीवाल पत्नी श्री शरद बाकलीवाल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. कु. सुषमा जैन एवं सुषमा बाकलीवाल दोनों मेरे ही नाम हैं. प्रकाशन उपरांत सुषमा बाकलीवाल पत्नी श्री शरद बाकलीवाल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम
(सुषमा जैन)
पुत्री-श्री रामजी लाल जैन

नया नाम
(सुषमा बाकलीवाल)
पत्नी-श्री शरद बाकलीवाल,
पता-चिक संतर, नियर सुपर स्टूडियो,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-371)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में नरेन्द्र कुमार लिखा चला आ रहा है व अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण-पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार वछानिया (NARENDRA KUMAR VACHANIYA) दर्ज है, जो कि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में नरेन्द्र कुमार वछानिया (NARENDRA KUMAR VACHANIYA) के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(नरेन्द्र कुमार)
(G-372)

नया नाम
(नरेन्द्र कुमार वछानिया)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शासकीय, अर्द्धशासकीय व प्राइवेट दस्तावेजों में सदाशिव, पता-मकान नं. 396, रतन कॉलोनी, करोंद कलां, हुजूर, भोपाल लिखा चला आ रहा है व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सदाशिव वछानिया दर्ज है, जो कि एक ही व्यक्ति के नाम हैं. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में सदाशिव वछानिया (SADASHIV VACHANIYA) के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सदाशिव)
(G-373)

नया नाम
(सदाशिव वछानिया)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम सोनम बिड़वे (SONAM BIDWE) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना उपनाम परिवर्तन कर सोनम आवटे (SONAM AWATE) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सोनम आवटे (SONAM AWATE) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(सोनम बिड़वे)
(G-374)

नया नाम
(सोनम आवटे)
पता-49, शिवाजी नगर, मालवामिल,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश तिवारी अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम राजेश कुमार तिवारी है. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा सही नाम राजेश कुमार तिवारी लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राजेश तिवारी)
(G-375)

नया नाम
(राजेश कुमार तिवारी)
पता-118, बी, स्कीम नं. 113,
नक्षत्र गार्डन के पास, विजय नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, SHAKIL MOHAMMAD S/o (LATE) SKUR MOHAMMAD, residing at SHAKUR TAILOR GALL, TILAKGANJ WARD, SAGAR (M.P.). That I have changed my name from SHAKIL MOHAMMAD to MOHAMMAD SHAKIL at my own desire due to tallied with Aadhar Card & Other Civil Documents and I have also changed my (LATE) father's name from SKUR MOHAMMAD to ABDUL SHAKUR. That both names SHAKIL MOHAMMAD and MOHAMMAD SHAKIL pertain to one and the same person.

Applicant,

(MOHAMMAD SHAKIL)

S/o (Late) Abdul Shakur.

(G-376)

नाम परिवर्तन

मैं, Rajesh Kumar Chouhan पिता Moolchand Chouhan, निवासी—ग्राम मालीवांया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सेन्ट्रल नोटरी में मेरे आवेदन में मेरा नाम राजेश कुमार चौहान एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में राजेश कुमार की जगह राजेश कुमार चौहान का उल्लेख है. मुझे राजेश कुमार चौहान के नाम से जाना—पहचाना जाता है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मुझे Rajesh Kumar Chouhan पिता Moolchand Chouhan के नाम से पढ़ा जावे एवं भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में राजेश कुमार चौहान नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम

(राजेश कुमार)

(Rajesh Kumar)

नया नाम

(राजेश कुमार चौहान)

(Rajesh Kumar Chouhan)

पिता मूलचंद चौहान,

Moolchand Chouhan.

(G-377)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम राजकुमार सिंह यादव (Rajakumar Singh Yadav) है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे परिवार के राशनकार्ड में मेरा नाम पूर्व नाम राजेश सिंह पुत्र दीवान सिंह दर्ज था. जबकि वर्तमान में मेरा नाम राजकुमार सिंह यादव पुत्र दीवान सिंह यादव है. राजेश सिंह और राजकुमार सिंह यादव मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत शासकीय, अशासकीय आदि के दस्तावेजों में मुझे राजेश सिंह के स्थान पर राजकुमार सिंह यादव के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राजेश सिंह)

नया नाम

(राजकुमार सिंह यादव)

पुत्र—स्व. दीवान सिंह यादव,

पता—51, ठाटीपुर गांव, गली नं. 2,

गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-378)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार बलभद्र पिता स्वरूप सिंह बलभद्र, निवासी चोपड़ा कॉलोनी, वार्ड नं. 8, रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). सेन्ट्रल नोटरी में मेरे आवेदन में मेरा नाम Manoj Kumar Balbhadra लिखा गया है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में Manoj Kumar Balbhadar पिता का नाम Swroop Singh Balbhadar उल्लेखित है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में सभी सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज में Manoj Kumar Balbhadra पिता Swroop Singh Balbhadra नाम से पढ़ा व लिखा एवं जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम

(Manoj Kumar Balbhadar)

(G-379)

नया नाम

(Manoj Kumar Balbhadra)

नाम परिवर्तन

सर्वजन सूचित हो कि मुझ प्रार्थी की पुत्री का सही नाम KOSHIKEE YADAV (कोशिकी यादव) D/o KALAYAN SINGH है. जो उसके आधार कार्ड आदि अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में पुत्री का नाम KAUSHIKEE YADAV व मेरा नाम KALYAN YADAV दर्ज हो गया है. जो गलत है. मैं, अपने पुत्री के शैक्षणिक व अन्य समस्त दस्तावेजों में उसका नाम KOSHIKEE YADAV एवं अपना नाम KALAYAN SINGH दर्ज करवाने हेतु इस राजपत्र का प्रकाशन करवा रहा हूँ. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को KOSHIKEE YADAV D/o KALAYAN SINGH लिखा-पढ़ा जावे व समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी,

(KALAYAN SINGH)

S/o RANVEER SINGH

पता-माँ वैष्णो पुरम, गदाईपुरा,

बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-380)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश सेठी (RAJESH SETHI) पिता कैलाशचन्द्र सेठी, निवासी शास्त्री कॉलोनी जोन 2, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.). सेंट्रल नोटरी में मेरे आवेदन में मेरा नाम (RAJESH SETHI) लिखा गया है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल के इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में राजेश कुमार सेठी (RAJESH KUMAR SETHI) नाम का उल्लेख है. मुझे राजेश सेठी (RAJESH SETHI) के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में राजेश कुमार सेठी को राजेश सेठी (RAJESH KUMAR SETHI को RAJESH SETHI) के नाम से लिखा-पढ़ा व दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

(राजेश कुमार सेठी)

(RAJESH KUMAR SETHI)

(G-381)

नया नाम

(राजेश सेठी)

(RAJESH SETHI).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में तथा मेरी पत्नी व मेरी संतानों के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम नासिर खान पुत्र श्री जहाँगीर खान (Nasir Khan S/o Shri Jahangeer Khan) अंकित है तथा मेरे विधि व्यवसाय रजिस्ट्रेशन (नामांकन/सनद) में मेरा व मेरे पिता का नाम नासिर खान गौरी पुत्र श्री जहाँगीर खान गौरी (Nasir Khan Gauri S/o Shri Jahangeer Khan Gauri) अंकित हो गया है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा उक्त दोनों नाम वाला व्यक्ति मैं ही हूँ तथा मैं उक्त दोनों ही नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ तथा प्रकाशन उपरांत नासिर खान पुत्र श्री जहाँगीर खान के नाम से जाना एवं पहचाना एवं पढ़ा-लिखा जावे.

प्रार्थी,

(नासिर खान)

पुत्र-श्री जहाँगीर खान,

पता-इन्द्रानगर, अवाड़पुरा, कम्पू,

लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-382)

नाम परिवर्तन

मैं, नितेश कुमार यादव (Nitesh Kumar Yadav) पुत्र रमेश चंद्र यादव, निवासी-वार्ड नं. 14, शास्त्री कॉलोनी, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.). सेन्द्रल नोटरी में मेरा नाम Nitesh Kumar Yadav लिखा है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में नितेश यादव Nitesh Yadav एवं आधार कार्ड में नितेश Nitesh दर्ज है. मुझे Nitesh Kumar Yadav S/o Ramesh Chandra Yadav माता Geeta Yadav के नाम से जाना-पहचाना, जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों में नितेश कुमार यादव Nitesh Kumar Yadav के नाम से लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(NITESH YADAV)

नया नाम
(NITESH KUMAR YADAV)
S/o Ramesh Chandra Yadav.

(G-383)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम जगदीश था. जोकि अब नाम बदलकर चिंटू पिता भेरूसिंह हो गया है. अतः भविष्य में मुझे चिंटू पिता भेरूसिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी,
(चिंटू)
पिता-भेरूसिंह,
निवासी-ग्राम दौलताबाद, पोस्ट रंगवासा,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-384)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम अंगूरबाला लेड़गाया था. जोकि अब नाम बदलकर तेजकुंवर पति राजू हो गया है. अतः भविष्य में मुझे तेजकुंवर पति राजू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थीनी,
(तेजकुंवर)
पति-राजू,
निवासी-जुहावाड़ा, जिला धार (म.प्र.).

(G-385)

CHANGE OF NAME

I, RAVI SALUJA here by declare that I have changed my name as SATNAM SINGH SALUJA S/o JAGAT SINGH SALUJA So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant,
(SATNAM SINGH SALUJA)
S/o JAGAT SINGH SALUJA,
Add.-L/12, New Ranibag,
Limbodi, Kasturbagram,
Indore (M.P.).

(G-386)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम अ करीम पिता इस्माइल (AB KARIM S/o ISMAIL) एवं अब्दुल करीम पिता इस्माइल (ABDUL KARIM S/o ISMAIL) लिखा व पढ़ा जाता था. जो मेरे दस्तावेजों में अंकित हो गया है, मुझे एक व्यक्ति के ही नाम है. अब मेरे नाम अब्दुल करीम पिता मोहम्मद इस्माइल (ABDUL KARIM S/o MOHAMMAD ISMAIL) हो गया है. भविष्य में मुझे मेरे द्वारा परिवर्तित नाम अब्दुल करीम पिता मोहम्मद इस्माइल (ABDUL KARIM S/o MOHAMMAD ISMAIL) ही लिखा-पढ़ा व उपयोग किया जावे एवं समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों में भी मेरे उक्त नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अ करीम)
(AB KARIM)
पिता-इस्माइल
S/o ISMAIL

नया नाम
(अब्दुल करीम)
(ABDUL KARIM)
पिता मोहम्मद इस्माइल
S/o MOHAMMAD ISMAIL
निवासी-51, ग्राम हांसा खेड़ी,
खुड़ेल बुजुर्ग, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-387)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, हातू बाई (Hattu Bai) पत्नी स्व. श्री राधू (Radhu), आयु-74 वर्ष, निवासी 207, ग्राम कालापानी, आई.बी.डी. हॉलमार्क सिटी, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सातू बाई (Satu Bai) पत्नी श्री हठीला (Hathila) अंकित है. किन्तु मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम हातू बाई (Hattu Bai) पत्नी श्री (Radhu) है, मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. मेरा यही नाम प्रचलन में है. प्रकाशन उपरांत मुझे हातू बाई (Hattu Bai) पत्नी श्री राधू (Radhu) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(सातू बाई)
(Satu Bai)

नया नाम
(हातू बाई)
(Hattu Bai)
पत्नी-श्री राधू
(Radhu).

(G-388)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमचंद (Prem Chand) पुत्र श्री गुलाबचंद (Gulab Chand), निवासी 56क, भुरेरू, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रेमलाल (Premlal) पुत्र श्री गुलाबचंद (Gulabchand) अंकित है. किन्तु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम प्रेमचंद (Prem Chand) पुत्र श्री गुलाबचंद (Gulab Chand) है, मैं इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे प्रेमचंद (Prem Chand) पुत्र श्री गुलाबचंद (Gulab Chand) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-सुना समझा बोला जाये.

पुराना नाम
(प्रेमलाल)
(Premlal)

नया नाम
(प्रेमचंद)
(Prem Chand)
पुत्री-श्री गुलाबचंद
(Gulab Chand).

(G-389)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अखलेश मंडलोई (Akhlesh Mandloi) आत्मज श्री गजराज सिंह (Gajraj Singh), निवासी-म. नं. 209, ग्राम मरदाना, जिला खरगौन (म.प्र.). मेरा पुत्र राम मंडलोई (Ram Mandloi) है. जिसके आधार कार्ड में उसका नाम श्याम (Shyam) पुत्र श्री अखिलेश (Akhilesh) अंकित है. किंतु मेरे पुत्र के समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम राम मंडलोई (Ram Mandloi) पुत्र श्री अखलेश मंडलोई (Akhlesh Mandloi) है. मेरा पुत्र इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र की पत्नी को राम मंडलोई (Ram Mandloi) पुत्र श्री अखलेश मंडलोई (Akhlesh Mandloi) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक,

(अखलेश मंडलोई)

(Akhlesh Mandloi)

पुत्र-श्री गजराज सिंह.

(G-390)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप पाटीदार पुत्र श्री मणिशंकर पाटीदार, निवासी-ग्राम खेडावद, पोस्ट मंगलाज, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रोनक पाटीदार (RONAK PATIDAR) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम धृव पाटीदार हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम रोनक पाटीदार (RONAK PATIDAR) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

आवेदक,

(दिलीप पाटीदार).

(G-391)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओंकार सिंह आत्मज श्री जालम सिंह, निवासी-ग्राम किलेरामा, किलेरामा, तहसील आप्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम ओंकार सिंह (ONKAR SINGH) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम इंदर परमार (INDAR PARMAR) हो गया था, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम ओंकार सिंह (ONKAR SINGH) के नाम से जाना जाउंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

आवेदक,

(ओंकार सिंह).

(G-392)

PUBLIC NOTICE

(NOTICE U/S.72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT)

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 9-9-2024 (1) Mrs. Nishi Bajpai was admitted into the partnership of the mentioned firm M/S. Su- Madhur-Bhashini Business Consultancy, 208-209, Ganesh Puri (Near Khajrana Temple), Indore, M.P. and with effect from 9-9-2024. And Mr. Pravinkumar Shanti lal Mate was retired from the partnership of the mentioned firm M/S. Su-Madhur-Bhashini Business Consultancy, 208-209, Ganesh Puri (Near Khajrana Temple), Indore, M.P. with effect from 9-9-2024 (1) Mrs. Suruchi Pachori, (2) Mrs. Pratibha Katore, (3) Mrs. Nainy Shah, (4) Mr. Chirag Jain, (5) Mrs. Nishi Bajpai, (6) Mr. Virendra Shantilal Mate (7) Mr. Anurodh Upadhyay (8) Mrs. Anubhuti Upadhyay (9) Mr. Sukhjeet Kaur Matharu (10) Mrs. Sapna Singh Tomar are working partners of the firm. The Constitution of the firm M/S Su-Madhur-Bhashini-Business Consultancy, bearing registration number 03/27/01/0510/24, dated 14-3-2024.

For-M/S. Su- Madhur-Bhashini Business Consultancy

(SURUCHI PACHORI)

(Partner).

(G-393)

PUBLIC NOTICE

(NOTICE U/s.72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT)

Public Notice is hereby given that the partnership here to fore subsisting between Mr. Anurag Inani, Mrs. Shobhna Atut and Mr. Pramod Jaiswal, carrying on the petrol pump business at 71/3, Nipania, Indore, (M.P.) 452016 under the name of style of "Sai Soham Ganga Fuels" stands dissolved as w.e.f 13 of November 2024. Henceforth, Mr. Anurag Inani, Mrs. Shobhna Atut, Mr. Pramod Jaiswal are no longer a part of this partnership firm from this date. As such any person and/or persons dealing with the above firm shall do it at his or her own risk and costs. The Constitution of the firm M/S SAI SOHAM GANGA FUELS bearing registration number 03/27/01/0053/22, dated 23-5-2022.

For-M/S. SAI SOHAM GANGA FUELS,

(ANURAG INANI)

Partner.

(G-394)

नाम परिवर्तन

मैं, ध्यानसिंह सोलंकी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम DHYANSINGH SOLANKI S/o RAISINGH SOLANKI (ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री रायसिंह सोलंकी) है, प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम DHYANSINGH SOLANKI S/o RAISINGH SOLANKI (ध्यानसिंह सोलंकी आत्मज श्री रायसिंह सोलंकी) के नाम से जाना और पहचाना जाए.

आवेदक,

(ध्यानसिंह सोलंकी)

(DHYANSINGH SOLANKI).

(G-395)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील आ. श्री अमरत लाल, निवासी-रामदासी, तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का आधार कार्ड में नाम नेतिक वर्मा अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष वर्मा दर्ज है. जो कि सही है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरा नाम आयुष वर्मा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थी,

(पिता-सुनील वर्मा).

(G-396)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुरषोत्तम सिंह राजौरिया, पुत्र तुलई राम राजौरिया, मेरे पुत्र रुद्र प्रताप सिंह राजौरिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पी. एस. राजौरिया अंकित है. मैंने अपने पूर्व के नाम पी. एस. राजौरिया को परिवर्तित कर पुरषोत्तम सिंह राजौरिया आत्मज श्री तुलई राम राजौरिया कर लिया है. मेरा पुत्र रुद्र प्रताप सिंह राजौरिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पी. एस. राजौरिया के स्थान पर मेरा पूरा नाम पुरषोत्तम सिंह राजौरिया लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(पी. एस. राजौरिया)

नया नाम

(पुरषोत्तम सिंह राजौरिया)

पुत्र-तुलई राम.

(G-397)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मिर्जा अकीक बेग (Mirza Akik Beg) पुत्र श्री मिर्जा शमीम बेग, मेरी मार्कशीट/अन्य सम्बंधित दस्तावेजों में मेरी माता जी का नाम मलिका बेग (Malika Beg) अंकित है। किंतु मेरी माता जी के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उनका सही नाम मुक्तियारन (Muktiyaran) है। वह इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हैं। प्रकाशन उपरांत मेरी माता जी को मुक्तियारन (Muktiyaran) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदक,

(मिर्जा अकीक बेग)

(Mirza Akik Beg)

पुत्र—श्री मिर्जा शमीम बेग एवं माता मुक्तियारन
(Muktiyaran)

पता—वार्ड नं. 34, घोघर मोहल्ला,

पचमठा रोड, रीवा (म.प्र.).

(G-398)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम उमाशंकर (Umashankar) आत्मज श्री देशराज कुशवाह था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर उमाशंकर कुशवाह (Umashankar Kushwah) आत्मज श्री देशराज कुशवाह कर लिया है। वर्तमान में, मुझे सभी व्यक्ति उमाशंकर कुशवाह (Umashankar Kushwah) के नाम से जानते हैं। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम उमाशंकर कुशवाह (Umashankar Kushwah) शासकीय दस्तावेजों वोटर कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक शासकीय, अशासकीय दस्तावेज आदि में लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(उमाशंकर)

(Umashankar)

नया नाम

(उमाशंकर कुशवाह)

(Umashankar Kushwah)

आत्मज—श्री देशराज कुशवाह.

(G-399)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम हरभजन विश्वकर्मा (HARBHAJAN VISHWAKARMA) है। जो कि मेरे जाति प्रमाण-पत्र में अंकित है। जो कि सही है। हरभजन विश्वकर्मा (HARABHAJAN VISHWAKARMA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है। जो त्रुटिपूर्ण हैं। मेरे पिता का सही नाम श्री राधेश्याम विश्वकर्मा है। जोकि मेरे आधार कार्ड में अंकित है। मेरा सही नाम हरभजन विश्वकर्मा (HARBHAJAN VISHWAKARMA) है एवं मेरे पिता का सही नाम राधेश्याम विश्वकर्मा है। उक्त दोनों नाम अर्थात् हरभजन विश्वकर्मा (HARBHAJAN VISHWAKARMA) एवं हरभजन विश्वकर्मा (HARABHAJAN VISHWAKARMA) मेरे स्वयं के ही नाम है। अर्थात् एक ही व्यक्ति का नाम है एवं श्री राधेश्याम विश्वकर्मा एवं श्री राधेश्याम विश्वकर्मा मेरे पिता का ही नाम है। अर्थात् एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रकाशन उपरांत सही नाम हरभजन विश्वकर्मा (HARBHAJAN VISHWAKARMA) है पिता श्री राधेश्याम विश्वकर्मा लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(हरभजन विश्वकर्मा)

(HARABHAJAN VISHWAKARMA)

(G-400)

नया नाम

(हरभजन विश्वकर्मा)

(HARBHAJAN VISHWAKARMA)

पिता—श्री राधेश्याम विश्वकर्मा.

नाम परिवर्तन

गीतिका मडावी (GEETIKA MADAVI) पुत्री श्री मोहन मडावी, निवासी-28, सौम्या विहार फेस-3, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में व मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरी माता का नाम यू. मडावी (U. MADAVI) लिखा है. जबकि मेरी माता का पूरा नाम उत्तरा मडावी (UTTARA MADAVI) है. उक्त दोनों नाम अर्थात् यू. मडावी (U. MADAVI) एवं उत्तरा मडावी (UTTARA MADAVI) मेरी माता के ही नाम हैं अर्थात् एक ही व्यक्ति का नाम हैं. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरी माता का नाम यू. मडावी (U. MADAVI) लिखा है. पूरा नाम उत्तरा मडावी (UTTARA MADAVI) पढ़ा, समझा लिखा व जाना-पहचाना जावे.

(G-401)

प्रार्थिनी,
(गीतिका मडावी).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम "मेसर्स शिवांश एसोसिएट्स" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06-09-01-0092-23, दिनांक 12-12-2023 एवं फर्म का पता 109, पोद्दार कॉलोनी, सागर, (म.प्र.) 470001 में स्थित है. जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री शिवांश सिंह बघेल पिता श्री कमलेश सिंह बघेल एवं श्री शाश्वत सिंह बघेल पिता श्री कमलेश सिंह बघेल है तथा आज दिनांक 1-1-2025 को श्री कमलेश बघेल पिता श्री राघवेन्द्र सिंह, आयु 57 वर्ष, निवासी-109, शिवाजी वार्ड, सागर (म.प्र.), 470001 भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

(G-402)

मेसर्स शिवांश एसोसिएट्स,
(शिवांश सिंह बघेल)
भागीदार.

नाम परिवर्तन

मैं, विशाखा बल्ले पत्नी श्री जितेन्द्र, निवासी- म.नं.-32, गणपति ऐबोड कॉलोनी, करोंद, नियर मित्तल कॉलेज, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश आरवि राठौर नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पर दिविशा बल्ले (DIVISHA BALLE) नाम दर्ज है. जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम दिविशा बल्ले (DIVISHA BALLE) से जाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

(G-403)

प्रार्थिनी,
(विशाखा बल्ले)
पत्नी-श्री जितेन्द्र.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेदांत जैन (VEDANT JAIN) पुत्र श्री हरगोविन्द जैन, निवासी-जवाहर लाल नेहरू, वार्ड-07, बकस्वाहा, जिला छतरपुर. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बेदान्त जैन (BEDANT JAIN) अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में वेदांत जैन (VEDANT JAIN) पुत्र श्री हरगोविन्द जैन (HARGOVIND JAIN) दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम वेदांत जैन (VEDANT JAIN) पुत्र श्री हरगोविन्द जैन (HARGOVIND JAIN) से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बेदान्त जैन)
(BEDANT JAIN)
(G-404)

नया नाम
(वेदांत जैन)
(VEDANT JAIN)
पुत्र-श्री हरगोविन्द जैन.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी के सभी दस्तावेजों में उनका नाम विवाह पश्चात् नीलू सिंह ठाकुर (NEELU SINGH THAKUR) है एवं विवाह पूर्व उनके ड्राइविंग लायसेंस में उनका नाम नीलू गौर (NEELU GAUR) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत उनके सही नाम नीलू सिंह ठाकुर (NEELU SINGH THAKUR) के नाम से सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाये.

प्रार्थी,

(ऋषि सिंह ठाकुर)

पता-09, अहिल्या नगर, एक्सटेंशन,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-405)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष सिंह मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश उसका नाम तृप्ति सिंह (TRAPTI SINGH) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम तान्या सिंह (TANYA SINGH) दर्ज है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के सही नाम तान्या सिंह (TANYA SINGH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

प्रार्थी,

(मनीष सिंह)

निवासी-ए-10, लवकुश नगर,
खजुरी कलां, भेल, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-406)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लाल सिंह, गलत अंकित हो गया है. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राजेन्द्र कुमार मेहरा दर्ज है. जो कि मेरा सही और वास्तविक नाम है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र कुमार मेहरा के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(राजेन्द्र कुमार)

नया नाम

(राजेन्द्र कुमार मेहरा)

पिता-श्री लाल सिंह मेहरा,

पता-892/1, भीम नगर,

वल्लभ भवन के पास, वार्ड नं. 33

भोपाल (म.प्र.).

(G-407)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रजभान यादव पुत्र श्री राजधर सिंह यादव, निवासी-ग्राम-तारई, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम भोला सिंह यादव पुत्र श्री ब्रजभान सिंह यादव दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र पर सही नाम रंजीत सिंह यादव पुत्र ब्रजभान यादव लिखा हुआ है, जो कि सत्य एवं सही है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/समस्त दस्तावेजों में रंजीत सिंह यादव पुत्र श्री ब्रजभान यादव के नाम से जाना-पहचाना जावे.

भवदीय,

(ब्रजभान यादव).

(G-408)

नाम परिवर्तन

आशिया बेगम Aasiya Begam पुत्री स्व. श्री अहमद हफीज खान Ahmad Hafeez Khan, निवासी-33/B, लालकुर्ती बाजार, सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड एवं शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम आशिया खान कहीं पर कुमारी आशिया ही लिखा हुआ है. जो कि गलत है. मेरे स्कूल के डायग्राम Aasiya Begam है. जो कि सही नाम है. अतः राजपत्र में प्रकाशित प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम आशिया बेगम Aasiya Begam से जाना-पहचाना तथा लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कु. आशिया खान)
(KU. AASIYA KHAN)

नया नाम
(आशिया बेगम)
(AASIYA BEGAM).

(G-409)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गीता केटर्स भागीदारी फर्म के रूप में पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल से दिनांक 25-4-2001 द्वारा पंजीयत फर्म है. उक्त फर्म का संचालन दिनांक 5-11-2014 के विलेख द्वारा गीता व्यास पत्नी शंभु दयाल व्यास एवं संकल्प व्यास पुत्र स्व. शंभु दयाल व्यास द्वारा किया जा रहा था. जोकि रिकार्ड में है. दिनांक 24-1-2018 द्वारा उक्त फर्म से संकल्प व्यास पुत्र स्व. शंभुदयाल व्यास सेवानिवृत्त हुये उनके स्थान पर शिफा व्यास पुत्री स्व. शंभुदयाल व्यास उक्त फर्म में सम्मिलित हुई. दिनांक 24-10-2023 उक्त फर्म से शिफा व्यास पुत्री स्व. शंभुदयाल व्यास सेवानिवृत्त हुई. उनके स्थान पर मोनिका शर्मा पुत्री आदित्य नारायण शर्मा उक्त फर्म में सम्मिलित हुई. अतः वर्तमान में उक्त गीता केटर्स का संचालन गीता व्यास पत्नी स्व. शंभुदयाल व्यास एवं मोनिका शर्मा पुत्री आदित्य नारायण शर्मा भागीदारों द्वारा किया जा रहा है.

द्वारा-मेसर्स गीता केटर्स,
गीता व्यास एवं मोनिका शर्मा
(भागीदार).

(G-410)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कली बाई (Kali Bai) पति श्री कन्हैयालाल यादव (Kanhaiyalal Yadav), निवासी- म. नं. 61, बंगरसीया, बंगरसीया भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रामकली बाई (Ramkali Bai) पति श्री कन्हैयालाल यादव (Kanhaiyalal Yadav) यादव अंकित है. किंतु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कली बाई (Kali Bai) पति श्री कन्हैयालाल यादव (Kanhaiyalal Yadav), अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे कली बाई (Kali Bai) पति श्री कन्हैयालाल यादव (Kanhaiyalal Yadav) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(रामकली बाई)
(Ramkali Bai)

नया नाम
(कली बाई)
(Kali Bai)
पति-श्री कन्हैयालाल यादव
(Kanhaiyalal Yadav).

(G-411)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र कुश दीक्षित का नाम परिवर्तन कर लक्ष्य दीक्षित करना चाहता हूँ. अतः मेरे पुत्र का नाम अब से लक्ष्य दीक्षित नाम से जाना जायेगा.

भवदीय,
(पिता-आशीष दीक्षित).

(G-412)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम रश्मी जॉंगिड़ (RASHMI JANGID) था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती रश्मी विश्वकर्मा पति रोहित कुमार विश्वकर्मा (Smt. RASHMI VISHWAKARMA W/o ROHIT KUMAR VISHWAKARMA) हो गया है. मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है. मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जाता है.

पुराना नाम
(रश्मी जॉंगिड़)
(RASHMI JANGID)

नया नाम
(रश्मी विश्वकर्मा)
(RASHMI VISHWAKARMA)
पति—श्री रोहित कुमार विश्वकर्मा,
(W/o ROHIT KUMAR VISHWAKARMA).

(G-413)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रेणुका बाजपेयी पति धीरेन्द्र बाजपेयी (Renuka Bajpai W/o Dhirendra Bajpai) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे रेणु बाजपेयी पति धीरेन्द्र बाजपेयी (Renu Bajpai W/o Dhirendra Bajpai), निवासी—सी/डब्ल्यू-154, जनका क्वार्टर, सुखलिया, जिला इन्दौर (म.प्र.). के नाम से जाना-पहचाना लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी,
(रेणु बाजपेयी)
(Renu Bajpai).

(G-414)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 62(1) के अधीन सूचना दी जाती है कि फर्म मेसर्स काबरा प्लास्टो पाईप्स गाडरवारा, दिनांक 3 जनवरी 2025 को भंग कर दी गई है.

द्वारा—मेसर्स काबरा प्लास्टो पाईप्स,
अशोक काबरा
(भागीदार).

(G-415)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम नेहा मागुल्ले पति राजेन्द्र कुमार मागुल्ले था. माननीय न्यायालय से विवाह विघटित होने उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नेहा पति शुभम (Neha W/o SHUBHAM) हो गया है. अतः भविष्य में नेहा पति शुभम (NEHA W/o SHUBHAM) इसी नाम से जाना-पहचाना एवं समझा जावे.

पुराना नाम
(नेहा मागुल्ले)

नया नाम
(नेहा)
(NEHA)
पति—शुभम
W/o SHUBHAM

(G-416)

मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) जबलपुर

क्र.-04-02-195-यो.रूपां.-152.

जबलपुर, दिनांक 16-1-2025

यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67(2) एवं धारा 176(2) उ के अधीन कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो कि म.प्र.शासन का उपक्रम है एवं पारिषण अनुज्ञप्तिधारी है, ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारिषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारिषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारिषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारिषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

(1) नाम: ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेंद्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण :परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) महत्वपूर्ण नये विभागीय कार्य:

(क) 400केव्ही लाईन निर्माण कार्य:

1. मुरैना पूर्णिग स्टेशन (सबलगढ़ के दक्षिण) (आईएसटीएस) 765 केवी उपकेंद्र से सबलगढ़ (एमपीपीटीसीएल) के नये 400 केवी उपकेंद्र तक 400 केवी डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस/उच्च क्षमता) कुल लंबाई 30.00 किमी।
2. पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड-रीवा (सगरा) 400 केवी डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस) कुल लंबाई 150.00 किमी।
3. रीवा (सगरा)-अमरपाटन 400 केवी डीसीडीएस लाईन (क्वाड/टिवन मूस) कुल लं. 60.00 किमी।

(ख) 220केव्ही लाईन निर्माण कार्य:

1. मुरैना (एमपीपीटीसीएल)-सबलगढ़ 220केवी लाइन का नये 400केवी उपकेंद्र सबलगढ़ में लीलो कार्य कुल लंबाई 20.00 किमी।
2. मुरैना 400 (अडानी)-सबलगढ़ 220केवी लाइन का नये 400केवी उपकेंद्र सबलगढ़ में लीलो कार्य, कुल लंबाई 20.00किमी।
3. सबलगढ़-श्योपुर 220केवी डीसीडीएस लाईन के दोनों सर्किट का नये 400 केवी उपकेंद्र सबलगढ़ में लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X20 किमी।
4. सबलगढ़ के नये 400केवी उपकेंद्र से श्योपुर 220केवी उपकेंद्र तक 220केवी डीसीडीएस लाईन का कार्य (संबंधित फीडर वे के साथ), कुल लंबाई 100 किमी।
5. रीवा-सिरमौर/बाणसागर-। 220केवी लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सागरा) 400केवी उपकेंद्र में लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X10 किमी।
6. रीवा (सगरा) 400केवी-कोटार 220केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 45.00 किमी।
7. मैहर-सतना (पीजीसीआईएल) 220केवी लाईन के दोनों सर्किट का 400केवी उपकेंद्र अमरपाटन में लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X20 किमी।

(ग) 132केव्ही लाईन निर्माण कार्य:

1. सबलगढ़ 220-श्योपुरकलां 132केवी लाईन का नये 400केवी उपकेन्द्र सबलगढ़ में लीलो कार्य, कुल लंबाई 20.00 किमी.।
2. सबलगढ़ 220-बीरपुर (टीबीसीबी) 132केवी लाईन के नये 400केवी उपकेन्द्र सबलगढ़ में लीलो कार्य, कुल लंबाई 20.00 किमी.।
3. श्योपुर 220केवी उपकेन्द्र से श्योपुरकलां 132केवी उपकेन्द्र तक 132केवी डीसीडीएस लाईन। (इंटरकनेक्टर) (संबंधित फीडर बे के साथ), कुल लंबाई 10.00 किमी.।
4. श्योपुर 220केवी उपकेन्द्र से बड़ौदा 132केवी उपकेन्द्र तक 132 केवी डीसीडीएस लाईन। (संबंधित फीडर बे के साथ), कुल लंबाई 30.00 किमी.।
5. रीवा (सगरा) 400 केवी-रीवा (सगरा) 132 केवी डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर), कुल लंबाई 10.00 किमी.।
6. रीवा (सगरा) 400 केवी-रीवा 132 केवी डीसीडीएस लाइन, कुल लंबाई 25.00 किमी.,
7. रीवा 220-मनगवां 132केवी लाईन के दोनों सर्किट का 400केवी उपकेन्द्र रीवा (सगरा) में लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X10 किमी.।
8. अमरपाटन 400केवी-अमरपाटन 132केवी डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर), कुल लंबाई 10.00 किमी.।
9. अमरपाटन 400केवी-सतना-।। 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 35.00 किमी.।
10. अमरपाटन 400केवी-रामपुर बाघेलान 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 25.00 किमी.।
11. अमरपाटन 400केवी-उचेहरा 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 25.00 किमी.।
12. उज्जैन-जैतपुरा 132केवी डीसीडीएस लाईन के एक सर्किट का नये 132केवी उपकेन्द्र त्रिवेणी विहार में लीलो कार्य, कुल लंबाई 04.00 किमी.।
13. उज्जैन-चंद्रावतीगंज 132केवी डीसीडीएस लाईन के एक सर्किट का नये 132केवी उपकेन्द्र चिंतामन में लीलो कार्य, कुल लंबाई 12.00 किमी.।
14. देपालपुर-गौतमपुरा 132केवी लाईन का नये 132केवी उपकेन्द्र चिंतामन में लीलो कार्य, कुल लंबाई 30.00 किमी.।
15. मुरैना 220केवी-मुरैना 132केवी डीसीडीएस लाईन (उच्च एम्पेसिटी कंडक्टर के साथ), कुल लंबाई 10.00 किमी.।
16. पीथमपुर (सेक्टर-1) 220केवी-अहीरखेड़ी 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 20.00 किमी.।
17. इंदौर एस.जेड.-घाटाबिल्लौद 132केवी लाईन का नये 132केवी उपकेन्द्र अहीरखेड़ी में लीलो कार्य/मौजूदा ईएचवी लाईन की पुनर्संरचना, कुल लंबाई 05.00 किमी.।
18. ग्वालियर-।। 220केवी-सिकंदर कम्पू 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 15.00 किमी.।
19. पुनासा 220केवी-अटूटखास 132केवी डीसीडीएस लाईन, कुल लंबाई 22.00 किमी.।

(घ) 400केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माण:

- (1) 400केव्ही नवीन उपकेंद्र, सबलगढ़ (3X500एमव्हीए)+(2X200एमव्हीए)
- (2) 400केव्ही नवीन उपकेंद्र, रीवा(सगरा) (2X500एमव्हीए)+(2X200एमव्हीए)
- (3) 400केव्ही नवीन उपकेंद्र, अमरपाटन (2X500एमव्हीए)+(2X200एमव्हीए)

(ङ.) 132केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माण:

- (1) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र, त्रिवेणी विहार (जीआईएस) (2X50एमव्हीए)
- (2) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र, चिंतामन (2X50एमव्हीए)
- (3) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र, अहीरखेड़ी (2X50एमव्हीए)
- (4) 132 केव्ही नवीन उपकेंद्र, सिकंदर कम्पू (2X50एमव्हीए)

(च) अतिरिक्त 220 / 132केव्ही परिणामित्र स्थापना कार्य:

- (1) उपकेंद्र- छिंदवाड़ा, शुजालपुर, छतरपुर, बिरसिंहपुर, शहडोल, उदयपुरा, श्योपुर- (कुल नग-07)

(छ) अतिरिक्त 132/33केवी परिणामित्र स्थापना कार्य:

(1) 132केवी उपकेन्द्र— पोंडर, राउ, राहतगढ़, जोबट, सोहागपुर, सलामतपुर, सिलवानी, मूदी, बगरोदा, शिवगढ़, शिवनी, भांडेर, रामपुर नैकेन, रामपुर बघेलान, कटरा, मनावर, सेमरीहरचंद, बनखेडी, भिण्ड, घोंसला, बिस्नूर, श्यामगढ़, रुनाहा, ढीमरखेड़ा, मुंगावली, ई-8(भोपाल), कराहल, मोरवन, श्यामपुर, कटनी, नसरुल्लागंज, मोरार एवं पिपरिया, 220केवी उपकेन्द्र— महलगांव, गौरझामर, गोराबाजार, मण्डीदीप, साऊथ जोन इंदौर, चापड़ा, गुना, सिवनी, अशोकनगर एवं विदिशा, 400केवी उपकेन्द्र— उज्जैन एवं किरनापुर (कुल नग-45)

(ज) 132/33केवी परिणामित्र क्षमता वृद्धि कार्य:

- (1) 220केवी उपकेंद्र, उज्जैन (20 से 50 एमव्हीए)
- (2) 132केवी उपकेंद्र, मण्डला (20 से 50 एमव्हीए)
- (3) 132केवी उपकेंद्र, जौरा (20 से 50 एमव्हीए)
- (4) 132केवी उपकेंद्र, तिघरा रोड (20 से 50 एमव्हीए)
- (5) 132केवी उपकेंद्र, इच्छावर (20 से 50 एमव्हीए)
- (6) 132केवी उपकेंद्र, अमरपाटन (40 से 63 एमव्हीए)
- (7) 132केवी उपकेंद्र, गढ़ाकोटा (40 से 63 एमव्हीए)
- (8) 132केवी उपकेंद्र, रीवा (40 से 80 एमव्हीए)
- (9) 220केवी उपकेंद्र, इटारसी (40 से 80 एमव्हीए)

(झ) 400केवी बस रिक्टर एवं फीडर बे का निर्माण कार्य :

1. 400/220/132 केवी सबस्टेशन रीवा (सगरा) पर 1X125 एमवीएआर, 400 केवी स्विचेबल बस रिक्टर प्रत्येक सर्किट।
2. एमईएल से रीवा (सगरा) के प्रत्येक सर्किट पर 1X80 एमवीएआर, 400 केवी स्विचेबल लाइन रिक्टर, रीवा (सगरा) छोर पर 400 केवी (क्वाड मूस) डी/सी लाईन।
3. 400/220/132 केवी सबस्टेशन अमरपाटन पर 1X125 एमव्हीएआर, 400 केवी स्विचेबल बस रिक्टर।
4. पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड-रीवा (सगरा) 400 केवी डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस) की समाप्ति के लिए एमईएल स्विचयार्ड में 2 नग 400 केवी लाईन बे का निर्माण कार्य।

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य:**(क) 400 केवी पारेषण लाईन:**

1. 630 मेगावाट सौर ऊर्जा हेतु एनटीपीसी आरईएल बरेठी सोलर प्लांट से प्रस्तावित 765 के. व्ही ईशानगर (आईएसटीएस) उपकेन्द्र तक 400 के.व्ही डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य।
2. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बाईपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण लोकेशन क्रमांक 316-319 से 400 केवी डीसीडीएस बिरसिंहपुर-कटनी लाइन का संशोधन/शिपिंग कार्य।

(ख) 220 केवी पारेषण लाईन:

1. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी इंदौर- बोरगांव 4 लेन रोड तेजाजीनगर- बालवारा सेक्शन (बोरगांव-इंदौर पैकेज-2) चैन कं. 9.000 से चैन कं. 42.400(लम्बाई 33.400किलो)के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर-सिमरोल- बालवाड़ा लाईन के लोकेशन क्रमांक 85से 89 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।

2. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी इंदौर- बोरगांव 4 लेन रोड तेजाजीनगर- बालवारा सेक्शन (बोरगांव-इंदौर पैकेज-2) चैन कं. 9.000 से चैन कं. 42.400(लंबाई 33.400किलो)के कारण 220के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाहा-इंदौर लाईन के लोकेशन क्रमांक 61से 68 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
3. आरवीएनएल कोटा द्वारा चौथे रेलवे ट्रैक के निर्माण के कारण (चैन कं. 979 एवं 980) मालखेड़ी-महादेवखेड़ी सेक्शन पर 220 के.व्ही बीना इंटरकनेक्टर सर्किट 1एवं2 लाइन पर लोके कं. 20 से 29 का संशोधन/विस्थापन कार्य।
4. आरवीएनएल कोटा द्वारा चौथे रेलवे ट्रैक के निर्माण के कारण (चैन कं. 979 एवं 980) मालखेड़ी-महादेवखेड़ी सेक्शन पर 220 के.व्ही बीना-पिछोर (बीना-चंदेरी सर्किट एवं बीना-राजघाट सर्किट)सर्किट 1एवं2 लाइन पर लोके कं. 362 से 979 का संशोधन/विस्थापन कार्य।
5. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा अचना (एकेवीएन) के रोड पर प्रस्तावित एलसी-234 के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के कारण 220के.व्ही डीसीडीएस पीथमपुर राजगढ़ लाईन के लोक. कं 5बी एवं 8बी तक संशोधन/ विस्थापन कार्य।
6. मेसर्स राधे प्रोडक्शन जबलपुर द्वारा निर्माण किये जा रहे नए बस स्टैंड टर्मिनल और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के कारण ऊंचाई बढ़ाने के लिए 220 के.व्ही डीसीडीएस दमोह 400- दमोह220 / टीकमगढ़ लाईन लोक. कं 1 से 5 के मध्य संशोधन / विस्थापन कार्य ।
7. पश्चिम रेलवे, रतलाम द्वारा ओंकारेश्वर-सनावद खंड के बीच मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के परिवर्तन के कारण 220 केवी ओंकारेश्वर-खंडवा/छेगाव/जुलवानिया एम/सी लाइन लोकेशन संख्या 67 से 68 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य।
8. भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई, उज्जैन द्वारा एचएएम मोड परियोजना के लिए मप्र राज्य एनएच-752डी के किमी (-)750 से 0+000 और 0+000 से 41.400 खंड तक उज्जैन-गरोठ ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट (पैकेज-एक) रोड चंदेसरी से खेड़ाखजुरिया तक 4-लेन के निर्माण, 220 केवी डीसीडीएस उज्जैन-नागदा लाइन के लोकेशन नंबर 21 से 25 लाइन तक का संशोधन/शिपिंग कार्य।
9. 400 केवी उपकेन्द्र पीथमपुर से इंदौर के पीथमपुर जिले में प्रस्तावित 220 केवी उपकेन्द्र एमपीआईडीसी तक 220केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य।
10. मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की 400 केवी उपकेन्द्र बीना से नई पेट्रोकेमिकल परियोजना तक उच्च एम्पेसिटी कंडक्टर के साथ ग्राम-अगासोद, तहसील-बीना, जिला सागर में 220 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण।
11. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी (इंदौर से बोरगांव पैकेज-2) के तेजाजीनगर से बलवाड़ा खंड के 4-लेन के निर्माण के कारण डिजाइन सीएच.9.000 से डिजाइन सीएच.42.400 (लंबाई 33.400 किमी) 220 केवी डीसीडीएस इंदौर-बड़वाहा लाइन के लोकेशन क्रमांक 61- से 68 तक संशोधन/शिपिंग कार्य।
12. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी (इंदौर से बोरगांव पैकेज-2) के तेजाजीनगर से बलवाड़ा खंड के 4-लेन के निर्माण के कारण, डिजाइन सीएच.9.000 से डिजाइन सीएच.42.400 (लंबाई 33.400 किमी) 220 केवी डीसीडीएस इंदौर-बड़वाहा लाइन के लोकेशन क्रमांक 79 से 85 तक का संशोधन/स्थानांतरण कार्य।
13. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी (इंदौर से बोरगांव पैकेज-2) के तेजाजीनगर से बलवाड़ा खंड के 4-लेन के निर्माण के कारण, डिजाइन सीएच.9.000 से डिजाइन सीएच.42.400 (लंबाई 33.400 किमी) 220 केवी डीसीडीएस इंदौर-बड़वाहा लाइन के लोकेशन क्रमांक 89 से 97 तक का संशोधन/स्थानांतरण कार्य।

14. एनएच-346 विदिशा के मेहुलवा गांव खंड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा एसएच-19 किमी 16+530 के) से किमी 75+700 (मौजूदा एसएच-19 किमी के) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्की दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 74+820) 220 केवी डीसीडीएस भोपाल-बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक 105 से 109 का संशोधन/शिफ्टिंग कार्य।
15. एनएच-346 विदिशा के मेहुलवा गांव खंड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा एसएच-19 किमी 16+530 के) से किमी 75+700 (मौजूदा एसएच-19 किमी के) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्की दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 74+820) 220 केवी डीसीडीएस भोपाल-बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक 113 से 117 का संशोधन/शिफ्टिंग कार्य।
16. एनएच-346 विदिशा के मेहुलवा गांव खंड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा एसएच-19 किमी 16+530 के) से किमी 75+700 (मौजूदा एसएच-19 किमी के) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्की दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 74820) 220 केवी डीसीडीएस भोपाल-बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक 181 से 185 का संशोधन/शिफ्टिंग कार्य।
17. एनएच-346 विदिशा के मेहुलवा गांव खंड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा एसएच-19 किमी 16+530 के) से किमी 75+700 (मौजूदा एसएच-19 किमी के) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्की दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 74820) 220 केवी डीसीडीएस भोपाल-बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक 185 से 188 का संशोधन/शिफ्टिंग कार्य।

(ग) 132 केव्ही पारेषण लाईन:

1. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी इंदौर- बोरगांव 4 लेन रोड तेजाजीनगर- बालवारा सेक्शन (बोरगांव-इंदौर पैकेज-2) चैन कं. 9.000 से चैन कं. 42.400(लम्बाई 33.400किलो)के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर-सिमरोल- बालवाड़ा लाईन के लोकेशन क्रमांक 104से 108 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
2. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर एनएच-347बीजी इंदौर- बोरगांव 4 लेन रोड तेजाजीनगर- बालवारा सेक्शन (बोरगांव-इंदौर पैकेज-2) चैन कं. 9.000 से चैन कं. 42.400(लम्बाई 33.400किलो)के कारण 132के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर-सिमरोल- बालवाड़ा लाईन के लोकेशन क्रमांक 79से 85 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
3. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर भोपाल - रायसेन - विदिशा- सागर सेक्शन एनएच-146 के भोपाल-कानपुर कोरीडोर (लॉट-4/पैकेज-3) 4 लेन रोड आदमपुर से मोरीकोडी सेक्शन किमी 0.000 से 39.000के बीच 132के. व्ही. विदिशा- सांची रेलवे ट्रेक्शन लाईन (सर्किट 1 एवं 2) के लोकेशन क्रमांक 02 से 09 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
4. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर भोपाल - रायसेन - विदिशा- सागर सेक्शन एनएच-146 के भोपाल-कानपुर कोरीडोर (लॉट-4/पैकेज-3) 4 लेन रोड आदमपुर से मोरीकोडी सेक्शन किमी 0.000 से 39.000के बीच 132के. व्ही. विदिशा- गुलाबगंज रेलवे ट्रेक्शन लाईन (सर्किट 1 एवं 2) के लोकेशन क्रमांक 01 से 14 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
5. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर सेक्शन एनएच-146 के भोपाल-कानपुर कोरीडोर (लॉट-4/पैकेज-3) 4 लेन रोड आदमपुर से मोरीकोडी सेक्शन किमी 0.000 से 39.000के बीच 132के.व्ही. विदिशा- गुलाबगंज 2 फेस 2 वायर (डीसीडीएस)रेलवे ट्रेक्शन लाईन (सर्किट 1 एवं 2) के लोकेशन क्रमांक 03 से 08 सी के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
6. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर सेक्शन एनएच-146 के भोपाल-कानपुर कोरीडोर (लॉट-4/पैकेज-3) 4 लेन रोड आदमपुर से मोरीकोडी सेक्शन किमी 0.000 से 39.000के बीच 132के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीडीएस) विदिशा-गुलाबगंज रेलवे ट्रेक्शन लाईन (सर्किट 1 एवं 2) के लोकेशन क्रमांक 19 से 35 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।

7. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश में एचएएम मोड पर भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर सेक्शन एनएच-146 के भोपाल-कानपुर कोरीडोर (लॉट-4/ पैकेज-3) 4 लेन रोड आदमपुर से मोरीकोडी सेक्शन किमी 0.000 से 39.000के बीच 132के.व्ही. विदिशा- गुलाबगंज 2 फेस 2 वायर (डीसीडीएस)रेलवे ट्रेक्शन लाईन (सर्किट 1 एवं 2) के लोकेशन क्रमांक 08 से 16 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
8. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा अचना (एकेवीएन) के रोड पर प्रस्तावित एलसी-234 के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के कारण 132के.व्ही सीकल सर्किट पीथमपुर परसरामपुरिया लाईन के लोक. क्रं 2 एवं 7 तक संशोधन/ विस्थापन कार्य।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग लोकनिर्माण विभागसंभाग जबलपुर द्वारा निर्मित मंडला-बालाघाट दो लेन रोड सेक्शन (एन एच -543 चैन क्रं.104+900) पर 132के.व्ही. 2फेस 2वायर (डीसीएसएस) बालाघाट -लालबर्सा/ वारासिवनी के लोकेशन क्रमांक 30से 34 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग लोकनिर्माण विभाग संभाग जबलपुर द्वारा निर्मित मंडला-बालाघाट दो लेन रोड सेक्शन (एनएच-543 चैन क्रं.104+900) के मध्य 132के.व्ही. 2फेस 2वायर (डीसीएसएस) लालबर्सा-आरटीएस समनापुर के लोकेशन क्रमांक 85 से 63के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य।
11. पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा के मौजूदा आरटीएस सुवासरा के निकट आरटीएस सुवासरा के नए स्थान पर लाइन की कनेक्टिविटी के लिए 132 केवी डीसीडीएस (3 फेज 6 वायर) सुवासरा से आरटीएस लाइन में संशोधन/स्थानांतरण कार्य।
12. पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर की मौजूदा 132 केवी डीसीडीएस 2 वायर मोरवा-आरटीएस सिंगरौली लाइन का 132 केवी 3 फेज 6 वायर लाइन में उन्नयन कार्य।
13. जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर की परियोजना योजना-41 के अंतर्गत कटनी बायपास तंके एसआर-3 सड़क के निर्माण के कारण 132 केवी डीसीडीएस जबलपुर-मढ़ोताल-पनागर लाइन का लोकेशन क्रमांक 29 से 33 तक संशोधन/शिपिंग कार्य।
14. जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर की परियोजना योजना-41 के अंतर्गत कटनी बायपास तक एसआर-3 सड़क के निर्माण के कारण क्रमांक 27 से 31 तक सड़क क्रॉसिंग नियंत्रण रेखा पर 132 केवी डीसीडीएस जबलपुर-वीएफजे लाइन के संशोधन/शिपिंग के लिए संशोधित अनुमान।
15. 220 केवी उपकेन्द्र छनेरा से मेसर्स एब्रेल (एमपी) रिन्यूएबल्स लिमिटेड (मैसर्स एब्रेल सोलर पावर लिमिटेड और एब्रेल (एमपी) रिन्यूएबल्स लिमिटेड मुंबई के लिए सामान्य) के पूलिंग सबस्टेशन तक उच्च क्षमता वाले कंडक्टर का उपयोग करके 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य।
16. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बाईपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण लोकेशन नंबर 07-10 से 132 केवी डीसीडीएस कटनी-कैमोर लाइन का संशोधन/शिपिंग कार्य।
17. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बाईपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण लोकेशन संख्या 299-302 के बीच 132 केवी कटनी-मनसकरा-पनागर लाइन का संशोधन/शिपिंग कार्य।
18. नर्मदा विकास प्राधिकरण-16 की डही माइक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के लिए 220 केवी उपकेन्द्र कुशी से पंप हाउस-2 (गांव कटारखेड़ा) तक 132 केवी डीसीडीएस लाइन और उसके बाद पंप हाउस-3 (गांव वशनाली) से पंप हाउस-1 (गांव-कातरखेड़ा) जिला धार तक 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण।
19. मेसर्स जे.के.सीमेंट वर्क्स अमानगंज, पन्ना के प्लांट के विस्तार हेतु 132केवी डीसीएसएस पटेरा से जेके सीमेंट (समर्पित) लाइन का लोकेशन संख्या 156-159 तक डायवर्जन।
20. एनएचएआई खंडवा के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 (इंदौर से बोरेगांव पैकेज-11) तेजाजीनगर से बलवाड़ा खंड के 4-लेन के निर्माण के कारण, डिजाईन सीएच 9.000 से डिजाईन सीएच 42.400 (लंबाई 33.400 किमी) के बीच 132 केवी डीसीडीएस इंदौर (एसजेड)-सिमरोल/ बलवाड़ा लाइन के लोकेशन क्रमांक 85 से 89 का संशोधन/स्थानांतरण कार्य।

21. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फेज-1 के अंतर्गत एनएच-347 बीजी (इंदौर से बोरगांव पैकेज-2) के तेजाजीनगर से बलवाड़ा खंड के 4-लेन के निर्माण के कारण, डिजाइन सीएच.9.000 से डिजाइन सीएच. 42.400 (लंबाई 33.400 किमी) 132 केवी डीसीडीएस इंदौर (एसजेड)-सिमरोल/बलवाड़ा लाइन के लोकेशन क्रमांक 104 से 108 तक का संशोधन/शिपिंग कार्य।
22. पश्चिम रेलवे, रतलाम के धार में रेलवे ट्रैक्शन उपकेन्द्र को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र तीसगांव से 132 केवी 3 फेज 3 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण और संबंधित तीसगांव उपकेन्द्र पर 1 नंबर फीडर बे का कार्य।
23. मेसर्स पैसिफिक मेटास्टील प्राइवेट लिमिटेड, जिला निवाड़ी में स्थित मिनी स्टील प्लांट को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र पृथ्वीपुर से ग्राम पपावानीखास, तहसील पृथ्वीपुर में 132 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य।
24. एनएचएआई, भोपाल द्वारा भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (लॉट 4/पैकेज-3) के एनएच-146 के भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर खंड के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट और तटीय सड़कों के निर्माण के कारण 132केवी 2 फेज 4 वायर (डीसीडीएस) विदिशा-सांची रेलवे ट्रैक्शन लाइन (सर्किट-1 एवं 2) के लोकेशन नंबर 19 से 35 तक का संशोधन/शिपिंग कार्य।
25. एनएचएआई, भोपाल द्वारा भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (लॉट 4/पैकेज-3) के एनएच-146 के भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर खंड के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट और तटीय सड़कों के निर्माण के कारण 132 केवी एस/सी विदिशा-रायसेन (पुरानी) लाइन के लोकेशन क्रमांक 8 से 16 तक का संशोधन/शिपिंग कार्य।
26. एनएचएआई, भोपाल द्वारा भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (लॉट4/पैकेज-3) के एनएच-146 के भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर खंड के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट और तटीय सड़कों के निर्माण के कारण 132 केवी 2फेज 4वायर (डीसीडीएस) 132 केवी विदिशा-गैरतगंज (सर्किट विदिशा-गैरतगंज) और विदिशा- रायसेन- द्वितीय और विदिशा-शमसाबाद) लाइन के लोकेशन क्रमांक: 03 से 8सी का संशोधन/शिपिंग कार्य।
27. एनएचएआई, भोपाल द्वारा भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (लॉट4/पैकेज-3) के एनएच-146 के भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर खंड के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर, 132केवी 2फेज 4वायर (डीसीएसएस) विदिशा-सांची रेलवे ट्रैक्शन लाइन (सर्किट-1 एवं 1।) के लोकेशन क्रमांक 2-9 तक फीडर रूट और तटीय सड़कों के निर्माण के कारण संशोधन/शिपिंग।
28. एनएचएआई, भोपाल द्वारा भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (लॉट4/पैकेज-3) के एनएच-146 के भोपाल-रायसेन-विदिशा-सागर खंड के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर, 132केवी 2फेज 4वायर (डीसीएसएस) विदिशा-गुलाबगंज रेलवे ट्रैक्शन लाइन (सर्किट-1 एवं 1।) के लोकेशन क्रमांक 1-14 तक फीडर रूट और तटीय सड़कों के निर्माण के कारण संशोधन/शिपिंग।
29. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बाईपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण लोकेशन क्रमांक 9-18 से 132 केवी डीसीडीएस कटनी-स्लीमनाबाद लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य।
30. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बाईपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण 132 केवी कटनी-स्लीमनाबाद लाइन का लोकेशन क्रमांक 46 से 50 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य।
31. एनएचएआई, कटनी द्वारा निर्मित कटनी बायपास रोड (एनएच-30) को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करने के कारण लोकेशन क्रमांक 22 से 25 तक 132 केवी डीसीडीएस कटनी इंटरकनेक्टर लाइन का संशोधन/शिपिंग कार्य।
32. पश्चिम रेलवे, रतलाम के धार में रेलवे ट्रैक्शन उपकेन्द्र को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र तीसगांव से 132 केवी 3 फेज 3 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण कार्य।
33. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की गेज लाइन परियोजना सतना-पन्ना न्यू ब्रॉड गेज के मार्ग में नागौद (जिला सतना) में प्रस्तावित आरटीएस नागौद को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) नागौद-आरटीएस नागौद लाइन का निर्माण कार्य।

34. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की रीवा-सीधी-सिंगरौली ब्रॉड गेज लाइन मार्ग में 132 केवी उपकेन्द्र देवसर से नए प्रस्तावित आरटीएस को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य।
35. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की रीवा-सीधी-सिंगरौली ब्रॉड गेज लाइन मार्ग में 132 केवी उपकेन्द्र देवसर से नए प्रस्तावित आरटीएस को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य।
36. डब्ल्यूसीआर, जबलपुर के आरटीएस कैमा को 3फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2 फेज 2 वायर) कोटार 220-आरटीएस कैमा लाइन का डीसीडीएस (3 फेज 6 वायर) लाइन में उन्नयन कार्य।
37. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के आरटीएस सीएआर (छनेरा) को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र छनेरा से आरटीएस सीएआर (छनेरा) तक 132 केवी डीसीडीएस 3 फेज 6 वायर लाइन का निर्माण कार्य।
38. पश्चिम रेलवे, रतलाम के आरटीएस झाबुआ को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र झाबुआ से आरटीएस झाबुआ तक 132 केवी डीसीडीएस 3 फेज 6 वायर लाइन का निर्माण कार्य।
39. पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के आरटीएस सिहोरा को 3 फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2 फेज 2 वायर) मनसकरा-आरटीएस सिहोरा लाइन का 3 फेज 6 वायर लाइन में उन्नयन कार्य।
40. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के आरटीएस भिटोनी को 3 फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2 फेज 2 वायर) शहपुरा-आरटीएस भिटोनी लाइन का 3 फेज 6 वायर लाइन में उन्नयन कार्य।
41. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के आरटीएस ब्योहारी में 3 फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2 फेज 2 वायर) ब्योहारी-आरटीएस ब्योहारी लाइन का 3 फेज 6 वायर लाइन में उन्नयन कार्य।
42. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस मझगवां (चितहरा) में 3-फेज डबल सर्किट बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी 2 फेज 2 वायर (डीसीएसएस) मझगवां-मझगवां(चितहरा) आरटीएस लाइन का 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) लाइन में उन्नयन कार्य।
43. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस बनखेड़ी में 3-फेज डबल सर्किट बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी 2 फेज 2 वायर (डीसीएसएस) बनखेड़ी-बनखेड़ी आरटीएस लाइन का 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन में उन्नयन कार्य।
44. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस बगरातवा में 3-फेज डबल सर्किट बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी 2 फेज 2 वायर (डीसीएसएस) सेमरी हरचंद-बगरातवा आरटीएस लाइन का 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन में उन्नयन कार्य।
45. मौजूदा 132 केवी सीधी-मडवासग्राम लाइन के तीसरे संचालन द्वारा आरटीएस मडवासग्राम को मौजूदा 132 केवी 2 फेज 2 वायर आपूर्ति को 3 फेज 6 वायर में अपग्रेड करना और आरटीएस मारवासग्राम में बिजली आपूर्ति के लिए डबल सर्किट लाइन के माध्यम से आरटीएस मडवाग्राम को 132 केवी उपकेन्द्र मडवाग्राम से जोड़ना।
46. आरटीएस गजरा बहारा को 3 फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2 फेज 2 वायर) डोंगरीताल-आरटीएस गजरा बहारा लाइन का डीसीडीएस (3 फेज 6 वायर) लाइन में उन्नयन कार्य।
47. सेंट्रल रेलवे, मुंबई/भुसावल के आरटीएस डोंगरगांव को 3 फेज 3 वायर बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र पंधाना से 132 केवी 3 फेज 3 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण कार्य।

48. सेंट्रल रेलवे, मुंबई/भुसावल के आरटीएस बुरहानपुर को बिजली आपूर्ति के लिए 132केवी 2 फेज 4 वायर लाइन में मौजूदा 132केवी 2 फेज 4 वायर (डीसीडीएस) बहादुरपुर से लाइन का उन्नयन कार्य।
49. आरटीएस डभौरा में 3 फेज 6 वायर बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2फेज 2वायर) सिरमौर-आरटीएस डभौरा लाइन का 3 फेज 6 वायर लाइन में उन्नयन कार्य।
50. पश्चिम रेलवे, रतलाम के गोधरा-रतलाम खंड पर मुंबई-नई दिल्ली मार्ग पर आरटीएस बामनिया को बिजली आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र पेटलावद से 132 केवी डीसीडीएस 3 फेज 6 वायर लाइन का निर्माण कार्य।
51. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के नई बीजी लाइन रामगंज-मंडी भोपाल के विद्युतीकरण के लिए 132 केवी 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) पीलूखेड़ी-आरटीएस कुरावर लाइन का निर्माण कार्य।
52. मध्य रेलवे की आरटीएस बैतूल को 3-फेज बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132केवी 2फेज 4वायर (डीसीएसएस) 132केवी डीसीडीएस 3 फेज 6 वायर बैतूल(132) को आरटीएस लाइनों को 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) लाइनों में अपग्रेड करना।
53. मध्य रेलवे की आरटीएस मुलताई को 3-फेज बिजली आपूर्ति के लिए मौजूदा 132केवी 2फेज 4वायर (डीसीएसएस) 132केवी डीसीडीएस 3 फेज 6 वायर मुलताई (132) को आरटीएस लाइनों को 3फेज 6वायर (डीसीडीएस) लाइनों में अपग्रेड करना।
54. पश्चिम रेलवे, वडोदरा के आरटीएसकोडी को बिजली आपूर्ति के लिए 220केवी उपकेन्द्र राजगढ़ (धार) से 132केवी 3फेज 3 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण कार्य।
55. 220 केवी उपकेन्द्र राजगढ़ से मेसर्स एब्रेल सोलर पावर लिमिटेड मुंबई के पूलिंग सबस्टेशन तक उच्च क्षमता वाले कंडक्टर का उपयोग करके 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य।
56. 220 केवी उपकेन्द्र कानवन से मेसर्स एब्रेल (एमपी) रिन्यूएबल्स लिमिटेड, मुंबई के पूलिंग सबस्टेशन तक 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य।
57. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा अचना (एकेवीएन) के रोड पर प्रस्तावित लोकेशन क्रमांक-234 के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के कारण 132के.व्ही डीसीडीएस पीथमपुर बेटमा लाइन के लोकेशन क्रमांक-40 से 46आर. का संशोधन/विस्थापन कार्य।
58. मध्य प्रदेश राज्य में भारत माला परियोजना के तहत 39.175 किमी से 75.480 किमी (जबलपुर रिंग रोड पैकेज-3) तक एनएच-45 से कुशनेर तक 4 लेन के कारण 132 केव्ही डीसीडीएस पनागर-कटनी लाइन का लो.क्र.88 से 96 तक संशोधन/शिफ्टिंग एनएचएआई, जबलपुर द्वारा ईपीसी मोड पर, कुल लं. 2X0. 50 किमी.

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं। एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण प्ररियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

(G-417)

अतुल जोशी, मुख्य अभियंता (मा.सं.सा. एवं प्रशा.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाहनगर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

शाहनगर, दिनांक 22 जनवरी 2025

प्ररूप क्र.-चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक, शाहनगर, जिला पन्ना के समक्ष.

प्र.क्र. 0001-बी-113-2024-25.-यह कि श्री दीपक गुप्ता पुत्र स्व. संतोष कुमार गुप्ता, निवासी-ग्राम नांदन, तहसील रैपुरा, जिला पन्ना (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः 11.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आषेय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री नर्मदेश्वर शंकर जी मंदिर चेरीटेबिल ट्रस्ट नांदन, तहसील रैपुरा, जिला पन्ना (म.प्र.).
2. लोक न्यास की अचल सम्पत्ति : ग्राम नांदन स्थित आराजी नम्बर 1123/1, रकबा 0.0800 हे. भूमि के अंश भाग रकबा 33x27=891 वर्गफुट में पक्का हाल बना हुआ है, जिसके अन्दर पश्चिम दक्षिण के कोने में 17x10=वर्गफुट में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें श्री शंकर जी, माता पार्वती जी की मूर्तियां स्थापित हैं.

(G-418)

श्रुति अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 7984-रीडर-1-24.-आवेदक अनिता बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-475, राउ हाउस, 78 पार्ट 2, निरंजनपुर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

अनिता बंसल चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-475, राउ हाउस, 78 पार्ट 2, निरंजनपुर, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 10,000

आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-419)

घनश्याम धनगर, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव, जिला देवास, मध्यप्रदेश

खातेगांव, दिनांक 20 जनवरी 2025

प्र.क्र. 0001-बी-113(1)-2024-25 क्र.219-रीडर-1-2024-25.-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1951 (क-30) की धारा 5 एवं उपधारा 02 और (म.प्र.) एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5 (1) अनुसार आवेदकगण विवेकसिंह पिता स्व. श्री जयसिंह जी एडवोकेट, आयु 49 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी 1/3 ए साउथ तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.) डॉ अमरसिंह पिता स्व. श्री लक्ष्मणसिंह यादव, आयु 71 वर्ष, निवासी लक्ष्मणसिंह क्लिनिक एम.जी.एम.जी. रोड, कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.). राधाकिशन यादव पिता स्व. श्री बिहारी लाल जी यादव, आयु 69 वर्ष, निवासी महाराण प्रताप वार्ड क्र. 20, मकान नं. 304, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा हरदा के पास हरदा, जिला-हरदा (म.प्र.) एवं अन्य के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया है. जिसका प्र.क्र. 0001/बी-113(1)/2024-25 पर दर्ज है. उक्त न्यास के पंजीयन पर किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति दिनांक 5 फरवरी 2025 के अंदर मेरे न्यायालय में कार्यदिवस के समय 10:30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से पेश करें. वाद म्याद दावा आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास का पंजीयन कर दिया जायेगा.

क्र.	कस्बा खातेगांव, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की अचल संपत्ति का विवरण	कस्बा खातेगांव, तह. खातेगांव जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की चल संपत्ति
1.	भूमि सर्वे नं. रकबा 11.30 763/2 545 वर्गफीट	निरंक
क्र.	कस्बा नेमावर, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की अचल संपत्ति का विवरण	कस्बा नेमावर, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की चल संपत्ति
1.	भूमि सर्वे नं. रकबा 1840 वर्गफीट	निरंक
क्र.	कस्बा सवासडी, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की अचल संपत्ति का विवरण	कस्बा सवासडी, तह. खातेगांव जिला देवास (म.प्र.) की ट्रस्ट/न्यास की चल संपत्ति
1.	भूमि सर्वे नं. रकबा 8.33 रु. 109/2 1.95 वर्गफीट	निरंक

प्रिया चंद्रावत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-420)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2024/Q.-कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटीकमलेर	2048/18-7-2001	1879/31-3-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मणखेडी	2006/16-11-2000	1880/31-3-2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डालावेदा	2757/22-10-2014	1850/31-3-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नोलाना	2533/15-1-2012	1846/31-3-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गारीपिपलया	2537/19-6-2012	1848/31-3-2023
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नागपुर	523/2-6-1976	1851/31-3-2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गावलू	760/19-12-1983	1830/31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रशासन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-421)

विजय दशोरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरदार पटेल साख सहकारी संस्था, इन्दौर	1731/19-7-1995	क्र.-परि.-2024-1752 दिनांक 3-6-2024.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	श्री रिद्धी साख सह. संस्था, इन्दौर	1947 / 21-4-1999		क्र.-परि.-2024-1751 दिनांक 3-6-2024.
3.	शहिद चन्द्रशेखर आजाद साख, इन्दौर	1772 / 26-8-1995		क्र.-परि.-2024-1750 दिनांक 3-6-2024.
4.	श्री कस्तुरबा महिला सह. साख, इन्दौर	2075 / 21-7-2024		क्र.-परि.-2024-1749 दिनांक 3-6-2024.
5.	सन्मति सह. साख सह., इन्दौर	1846 / 4-5-2014		क्र.-परि.-1748 दिनांक 3-6-2024.
6.	स्वदेश सह. साख सह. मर्या., इन्दौर	1741 / 31-5-2014		क्र.-परि.-2024-1747 दिनांक 3-6-2024.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रशासन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यत सूचना-पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-422)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री संत नरहरी साख सह. संस्था, इन्दौर	1730 / 6-9-2008	क्र.-परि.-2024-1746 दिनांक 3-6-2024.
2.	बालाजी चरण वंदन साख सह., इन्दौर	2891 / 25-10-2017	क्र.-परि.-2024-1745 दिनांक 3-6-2024.
3.	संचय साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2805 / 2-2-2012	क्र.-परि.-2024-1744 दिनांक 3-6-2024.
4.	सहयोग साख सह. संस्था मर्या., इन्दौर	2686 / 3-7-2014	क्र.-परि.-2024-2112 दिनांक 14-6-2024.
5.	सुनहरा कला अहिल्या सहयोग साख, इन्दौर	2685 / 3-7-2014	क्र.-परि.-2024-2111 दिनांक 14-6-2024.
6.	सुर्या साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	231 / 9-5-2013	क्र.-परि.-2024-1841 दिनांक 3-6-2024.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रशासन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-423)

संजय चतुर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, एकता वाल्मिकी सफाई कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2024/Q-1.—एकता वाल्मिकी सफाई कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक-1833, दिनांक 10-8-2011 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परि.-2024-1171, दिनांक 17-12-2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रशासन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-424)

गोविन्द प्रसाद नागवंशी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2024/क्यू.—उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:—

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाडल्या	भैरुंदा	1349/28-9-2006	1066/16-12-2024
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोपालपुर	भैरुंदा	1041/20-7-1994	1066/16-12-2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनुपनगर		बुदनी	1245 / 19-6-2003	1066 / 16-12-2024
4. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घोघरा		भैरुंदा	1670 / 29-9-2012	1066 / 16-12-2024
5. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमलपानी		भैरुंदा	1811 / 27-11-2014	1066 / 16-12-2024
6. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ससली		भैरुंदा	1805 / 16-10-2014	1066 / 16-12-2024
7. आदिवासी मछुआ सह. सं. मर्या., सलकनपुर पान गुराड़िया.		बुदनी	1338 / 25-11-2006	1066 / 16-12-2024

अतः, मैं, कपिल घुँघराले, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-425)

कपिल घुँघराले, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2024/क्यू.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धौलपुर.	भैरुंदा	1661 / 29-9-2012	423 / 14-5-2024
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ाबाया.	बुदनी	1388 / 5-11-2007	1066 / 16-12-2024

अतः, मैं, विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-426)

विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्था, मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2024/क्यू-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खदोनखुर्द	1013/18-12-2009	1203/16-12-2024
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुरा	109067/18-10-2021	1206/16-12-2024
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदाना	213/12-8-1992	1207/16-12-2024
4.	नागोरी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	1227/15-3-2016	1208/16-12-2024

अतः, मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/ सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-427)

गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र.-परिसमापन.-2024-779-यह कि महात्मा गांधी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, पोलखेड़ा (डोब तालाब) जिसको पंजीयन क्रमांक 1399, दिनांक 14-3-2016 है परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक-परिसमापन-701-राजगढ़, दिनांक 19 नवम्बर 2024 को जारी किया इसमें संस्था को मय दस्तावेज के पक्ष समर्थन हेतु कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला राजगढ़ में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे।

दिये गये निर्देशों के परिपालन में संस्था की ओर से अध्यक्ष/प्रबंधक उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यालयीन रिकार्ड/पंजी के अवलोकन किया जाना भी स्वीकार किया. उनके द्वारा निवेदन किया गया कि संस्था अधिनियम नियम, उपविधि के प्रावधान के अनुसार कार्य करने में त्रुटि की है. किन्तु उसे क्षमा कर परिसमापन में नहीं लाया जाए.

संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 नवम्बर 2024 में लेख किया गया था. कि जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के सदस्य श्री श्याम मेवाडा एवं श्री श्री बीरम मेवाडा दोनों सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर पाये गए हैं. जो संस्था में प्रचलित उपविधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है. जांच प्रतिवेदन में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में राजस्व विभाग के प्रतिवेदन अनुसार श्री श्याम मेवाडे पिता भंवर लाल वार्ड क्रमांक 14 जीरापुर एवं श्री बीरम मेवाडे पिता बट्टीलाल मेवाडे, वार्ड क्रमांक 02, जीरापुर में निवासरत् है.

संस्था की उपविधि में प्रावधान है कि संस्था के सदस्य संस्था के कार्यक्षेत्र में निवासरत् होंगे. उक्त में संस्था की उप विधि के प्रावधानों का उल्लघन पाया गया.

महात्मा गांधी मछुआ, सहकारी संस्था मर्यादित, पोलखेड़ा (डोब तालाब) के अध्यक्ष/प्रबंधक के पक्ष समर्थन/ कार्यालयीन वार्षिक आम-सभा कार्यालयीन, वित्तीय पत्रक प्रस्तुत करने की पंजी, अंकेक्षण पालन प्रतिवेदन पंजी, अंकेक्षण आवंटन आदेश, अन्य नस्तियों के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि का संस्था परिचालन में पालन नहीं कर रही है. जिससे संस्था के आर्थिक हितों को संवर्धन करने में त्रुटिवान प्रमाणित होती हैं.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी समितियों, जिला राजगढ़ (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26-7-1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयुक्त करते हुए महात्मा गांधी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, पोलखेड़ा (डोब तालाब) पंजीयन क्रमांक 1399, दिनांक 14-3-2016 को परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. यादव, सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-428)

नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी समितियां, जिला देवास, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग/सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दत्तौर	383 / 18-6-1976	585 / 17-2-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीखेड़ा	1949 / 26-7-2018	2327 / 9-3-2024
3.	एम. पी. साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1284 / 31-10-2012	2256 / 2-8-2018
4.	शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., लोहादा	244 / 17-5-1972	2202 / 18-1-2021
5.	नवजागृति साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	16 / 4-2-2011	781 / 7-7-2022
6.	सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1013 / 24-6-2002	90 / 8-1-2024
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दत्तोत्तर	385 / 8-5-1981	1353 / 7-9-2022
8.	प्रियदर्शनी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	766 / 9-6-1993	7098 / 21-6-2023
9.	दुर्गेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	808 / 6-6-1996	2148 / 22-4-2024

सहकारी अधिनियम, की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैधित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 नियम 57(ग/सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय-प्रमाण यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 से 5:00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंप गए हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-429)

तरुणा ठाकुर, परिसमापक.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग/सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुड़गांव	1656/31-3-2018	4987/24-12-2024
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलखेड़ी	1564/5-6-2015	4983/24-12-2024
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जूनापानी बुजूर्ग.	1452/10-7-2014	4984/24-12-2024
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोपला	1067/8-7-2003	1872/30-5-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडबेल	2102/6-12-2019	187/30-5-2023
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदबुजूर्ग	1451/10-7-2014	1870/30-5-2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सादीपुरा	475/5-11-1982	2577/28-12-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदोन	1648/28-3-2018	2146/22-4-2024
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोकाकुई	1653/31-3-2018	2145/22-4-2024
10.	पुलिस प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	834/28-11-1996	1823/24-5-2023
11.	न्यु आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सोनकच्छ	723/4-3-1995	803/30-4-2016
12.	निमाड़ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	34/13-3-1979	379/26-3-2004

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	अवंतिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	379 / 28-4-1981	424 / 12-2-2020
14.	नयन फल साग-सब्जी, सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या.	41 / 4-2-2014	617 / 26-7-2021
15.	मां चण्डेश्वरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	915 / 9-2-2006	1589 / 26-10-2016
16.	रतन श्री साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	1437 / 16-6-2014	1818 / 24-5-2023
17.	आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., बालगढ़	164 / 5-3-1969	511 / 25-3-2006

सहकारी अधिनियम, की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 नियम 57(ग/सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय-प्रमाण यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 से 5:00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंप गए हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूली हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-430)

अरुण कुमार पेंदारे, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक-विजय बीज उत्पादक एवं

कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बरुडमाल, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू-विजय बीज उत्पादक एवं कृषि आदान क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बरुडमाल, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2257, दिनांक 6-3-2014 है, को उप-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परिसमापन-2024-1171, खण्डवा, दिनांक 17-12-2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्वारा सूचित किया जाता है. कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की

निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-431)

कार्यालय, परिसमापक-श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निशानिया मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू.-श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निशानिया, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2168, दिनांक 5 दिसम्बर 2017 है, को उप-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परिसमापन-2024-1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-432)

कार्यालय, परिसमापक-मातृश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किल्लौद, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू.-मातृश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किल्लौद, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2349, दिनांक 10 फरवरी 2015 है, को उप-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परिसमापन-2024-1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-433)

कार्यालय, परिसमापक—किसान मित्र बीज उत्पादक एवं
विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, झुम्मरखाली, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—क्यू.—किसान मित्र बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, झुम्मरखाली, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2345, दिनांक 10 फरवरी 2015 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक—विधि—परिसमापन—2024—1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-434)

कार्यालय, परिसमापक—नमामी देवी नर्मदा
प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, देवल्दी, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.—परि.—2024—क्यू.—नमामी देवी नर्मदा प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, देवल्दी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2377, दिनांक.....है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक—विधि—परिसमापन—2024—1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-435)

कार्यालय, परिसमापक श्रीकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुम्मरखाली, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू.-श्रीकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुम्मरखाली, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 110040, दिनांक 31 जनवरी 2022 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परिसमापन-2024-1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-436)

कार्यालय, परिसमापक-जय मां नर्मदा अ. जा. विस्थापित मछुआ
सहकारी संस्था मर्यादित, ईमलानी, मध्यप्रदेश

दिनांक 24 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू.-जय मां नर्मदा अ. जा. विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, ईमलानी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा, जिसका पंजीयन क्रमांक 110040, दिनांक 31 जनवरी 2022 है, को उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा के आदेश क्रमांक-विधि-परिसमापन-2024-1171, खण्डवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2024 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक में नियुक्त किया गया है।

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारी को एतद्वारा सूचित किया जाता है। कि संस्था के प्रति अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में स्वयं स्थान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला खण्डवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की निर्धारित समयावधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे। इसके पश्चात् संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-437)

राधामोहन बिश्नोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक

कार्यालय, परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़छपरा

पं.क्र.1211-14-6-2006.

बड़छपरा, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

प्रारूप क्रमांक-5

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-2024-क्यू-यह कि परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़छपरा, पंजीयन क्रमांक 1211, जिला धार को उप/सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्र. 1237, दिनांक 27 अगस्त 2016 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़छपरा, तहसील धार, जिला धार, पंजीयन क्र. 1211, दिनांक 14 जून 2006 से संबंधित समस्त दावेदार को सूचित किया जाता है कि वे 57 सी की इस सूचना-पत्र की प्रकाशन की दिनांक से 2 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मय प्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयवधि में तथा साक्षों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जाएगा या संस्था की अद्यतन लेखा-पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जाएगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

(G-438)

रमेश पेंढारकर, व.स.नि. एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यू-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकोदिया.	1242/31-10-2017	1743/14-8-2023
2.	जय सीयाराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, चारखेडी.	1221/21-9-2015	1741/14-8-2023
3.	मां भगवती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूरियाखजुरिया.	1225/28-12-2015	1742/14-8-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरछा	123/28-3-1979	1704/14-8-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाण्डाहेडी	1219/27-8-2015	1703/14-8-2023
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकडी	1238/1-4-2017	1702/14-8-2023
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उण्डई	186/10-4-1981	1706/14-8-2023

अतः, मैं, बी. एस. भंवर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसामपन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-439)

बी. एस. भंवर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71 (1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बदलपुर	663/22-9-1995	1672/14-8-2023

अतः, मैं, मनोज श्रीवास्तव, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय-प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसामपन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-440)

मनोज श्रीवास्तव, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025—माघ 11, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)